उत्तराखण्ड शासन

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग

संख्याः 680 /VII-3-20/146–एमएसएमई/2013

दिनांकः 18 जून, 2020

अधिसूचना

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–184/सात–2–15/146 एमएसएमई/2013 दिनांक 31 जनवरी, 2015 से प्राख्यापित **उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (उद्योग) नीति–2015** (जिसे आगे एम.एस.एम.ई. नीति–2015 भी कहा गया है) में प्रदत्त अनुदान सुविधाओं/रियायतों व नीति के अन्य बिन्दुवों के क्रियान्वयन हेतु उत्तराखण्ड शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग की अधिसूचना संख्या **2287/सात–II/15/146–एमएसएमई/2013 दिनांक 03 दिसम्बर, 2015** को अतिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल महोदय **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्रियान्वयन आदेश–2015 (यथासंशोधित– 2020)** प्राख्यापित करने की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा अवधि

1. ये दिशा–निर्देश/आदेश **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्रियान्वयन आदेश–2015 (यथासंशोधित– 2020)** कहलायेंगे।

2. इस आदेश के अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों हेतु निम्नलिखित योजनायें सम्मिलित हैः–

   (क) निवेश प्रोत्साहन सहायता योजना

   (ख) ब्याज प्रोत्साहन सहायता योजना

   (ग) विद्युत बिल प्रतिपूर्ति योजना

   (घ) राज्य परिवहन उपादान योजना

   (ङ) मूल्यवर्द्धित कर (VAT) प्रतिपूर्ति सहायता योजना

   (च) राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) की प्रतिपूर्ति योजना

   (छ) गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रोत्साहन सहायता की प्रतिपूर्ति योजना

   (ज) सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयों को इन्टरनेट व्यय की

टिप्पणीः– उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न विभागों की नीतियों में चिन्हित गतिविधियों/उद्यमों, जो कि एम0एस0एम0ई0 की परिधि में आते हैं तथा जिन्हें एम0एस0एम0ई0 नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ अनुमन्य किया जाना है, को **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्रियान्वयन आदेश–2015 (यथासंशोधित–2020)** तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार ही नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ अनुमन्य होगा।

3. यह दिशा–निर्देश/आदेश एम.एस.एम.ई. नीति जारी होने की तिथि दिनांक 31 जनवरी, 2015, जैसा कि कार्यालय ज्ञाप दिनांक 31 जनवरी, 2015 तथा दिनांक 08 मार्च, 2019 में विहित है, से लागू होकर दिनांक 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी रहेंगे। इस नीति के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च, 2020 से पूर्व स्थापित होकर उत्पादन में आने वाले चिन्हित नये तथा पर्याप्त विस्तारीकरण के विनिर्माणक तथा सेवा क्षेत्र के उद्यमों को उत्पादन प्रारम्भ करने /सेवा प्रदान करने की तिथि से 31 मार्च, 2025 अथवा मूल नीति में दी गयी अवधि तक, जो भी पहले घटित हो, नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों एवं अन्य सुविधाओं का लाभ अनुमन्य होगा, किन्तु दिनांक 31 मार्च, 2020 के पश्चात नीति की वैधता अवधि में उत्पादन प्रारम्भ करने वाले सभी उद्यमों को उत्पादन/वाणिज्यिक गतिविधि प्रारम्भ करने के दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहन सुविधाओं का लाभ अनुमन्य होगा।

4. राज्य स्तर पर इन दिशा–निर्देशों/आदेशों तथा योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विभाग के महानिदेशक एवं आयुक्त उद्योग, उत्तराखण्ड अथवा निदेशक उद्योग, उत्तराखण्ड का होगा और जिला स्तर पर उनके अधीनस्थ जनपदों में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र विभागीय नीतियों/योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे।

5. ऐसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, जो विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008 (संशोधित नीति–2011) के तहत पहले से पंजीकृत हैं और जिन्होंने वाणिज्यिक उत्पादन/व्यवसायिक गतिविधि प्रारम्भ करने के पश्चात् अपना दावा प्रस्तुत कर दिया हो, को विशेष एकीकृत नीति के तहत ही अनुदान/वित्तीय

प्रोत्साहनों का लाभ अनुमन्य होगा। ऐसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, जिन्होंने नीति लागू होने के बाद अथवा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (उद्योग) नीति के क्रियान्वयन हेतु आदेश/सामान्य प्रचलनात्मक दिशा–निर्देश जारी होने के बाद अपने उद्यम को www.investuttarakhand.com पोर्टल पर योजनान्तर्गत पंजीकृत कराना आवश्यक होगा। ऐसे उद्यम जो कि नीति लागू होने के पश्चात अपने उद्यम का योजनान्तर्गत पूर्व पंजीकरण (Pre- registration) न करा पायें हों, को संशोधित क्रियान्वयन आदेश/सामान्य प्रचलनात्मक दिशा–निर्देश जारी होने की तिथि के 45 दिन के भीतर एकल खिड़की निकासी व्यवस्था के अन्तर्गत अपने उद्यम को www.investuttarakhand.com पोर्टल पर योजनान्तर्गत पंजीकृत कराना होगा। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म (CAF) तथा विभिन्न नीतियों के अन्तर्गत प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिए पंजीकरण हेतु मानक प्रचलनात्मक प्रक्रिया / दिशा–निर्देश www.investuttarakhand.com पर उपलब्ध है।

वित्तीय प्रोत्साहनों एवं अनुदान सहायता की अनुमन्यता के लिए चिन्हित क्षेत्रों का वर्गीकरण

नीति के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहनों एवं अनुदान सहायता की अनुमन्यता के लिए प्रदेश को निम्नानुसार पांच श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:–

श्रेणी–ए जिला पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत, रूद्रप्रयाग व बागेश्वर का सम्पूर्ण क्षेत्र।

श्रेणी–बी

- जनपद अल्मोड़ा का सम्पूर्ण भू–भाग।
- जनपद पौड़ी गढ़वाल तथा टिहरी गढ़वाल के पर्वतीय बहुल विकासखण्ड (बी+ श्रेणी में वर्गीकृत क्षेत्रों को छोड़कर)।
- जनपद नैनीताल तथा जनपद देहरादून के पर्वतीय बहुल विकासखण्ड (बी+ श्रेणी में वर्गीकृत क्षेत्रों को छोड़कर)।

श्रेणी–बी+

- जनपद पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा विकासखण्ड के कोटद्वार, सिगड्डी और इनसे जुड़े हुए मैदानी क्षेत्र तथा टिहरी गढ़वाल के फकोट विकासखण्ड के ढालवाला, मुनी–की–रेती,

तपोवन तथा उससे जुड़े हुए मैदानी क्षेत्र।

- जनपद नैनीताल के कोटाबाग विकासखण्ड का सम्पूर्ण क्षेत्र।
- जनपद देहरादून के कालसी विकासखण्ड के मैदानी क्षेत्र।

श्रेणी–सी

- जनपद देहरादून के रायपुर, सहसपुर, विकासनगर व डोईवाला विकासखण्ड के समुद्रतल से 650 मी. से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र।
- जनपद नैनीताल के रामनगर व हल्द्वानी विकासखण्ड में आने वाले क्षेत्र।

श्रेणी–डी जनपद हरिद्वार एवं उधमसिंहनगर का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा जनपद देहरादून व नैनीताल के अवशेष क्षेत्र (श्रेणी–बी, बी+ व सी में सम्मिलित क्षेत्र को छोड़कर)।

स्पष्टीकरण

1. श्रेणी सी व डी में नीति में चिन्हित **सभी विनिर्माणक** तथा सेवा गतिविधियों पर **नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों** यथाः राज्य पूंजीगत उपादान सहायता, ब्याज उपादान तथा स्टॉम्प शुल्क में छूट का लाभ क्षेत्र के वर्गीकरण के अनुसार निर्धारित सीमा/मात्रा में अनुमन्य होगा, किन्तु श्रेणी–सी व डी के क्षेत्रों में नगर निगम/महानगर पालिका/नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली पर्यटन गतिविधियों में देय वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

2. श्रेणी–डी के अन्तर्गत जनपद देहरादून व नैनीताल के अवशेष क्षेत्र से आशय इन जनपदों के विकासखण्डों में स्थित स्थलों से इतर नगर निगम/महानगर पालिका/नगर पालिका/विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले स्थलों से है।
3. रीवर बेड मैटीरियल आधारित उद्योगों (स्टोन क्रेशर सहित) पर नीति में प्रदत्त छूट/रियायतों का लाभ पूरे प्रदेश में अनुमन्य नहीं होगा।
4. उत्तराखण्ड शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग के

कार्यालय ज्ञाप संख्या 2511/VII-3-19/146–एम0एस0एम0ई0/2013 दिनांक 10 दिसम्बर, 2019 से श्रेणी–बी, बी+, सी व डी में वर्गीकृत क्षेत्रों में सिडकुल/उद्योग विभाग द्वारा विकसित निर्दिष्ट अरोमा पार्क में स्थापित होने वाले नये अरोमा निदर्शी (illustrative) अरोमा क्रियाकलापों /गतिविधियों के लिए निवेश प्रोत्साहन सहायता, ब्याज उपादान, स्टाम्प शुल्क में छूट तथा एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति की सीमा/मात्रा नीति में वर्गीकृत श्रेणी के अनुरूप कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर–4.8.3 में उल्लिखित शर्तों /प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य होगी।

परिभाषा

I सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम से ऐसे उद्यम/औद्योगिक इकाईयां अभिप्रेत हैं, जो सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 के अन्तर्गत धारा–2 (ज) (ड) एवं (छ) में दी गई परिभाषा के अन्तर्गत आते हों तथा जिन्होने उद्यम की स्थापना का आशय रखने अथवा उद्यम स्थापित करने के उपरान्त सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र में उद्यमी ज्ञापन भाग–1 व भाग–2 फाइल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की गयी हो अथवा उद्यमी द्वारा एकल खिड़की व्यवस्था के अन्तर्गत www.investuttarakhand.com में कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म (CAF) दाखिल कर जिला प्राधिकृत समिति से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त की गयी हो और उद्यम के उत्पादन में आने पर https://udyogaadhaar.gov.in में उद्योग आधार ज्ञापन फाइल कर उद्योग आधार प्राप्त किया गया हो।

II विनिर्माणक/उत्पादक उद्यमः–

उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग से सम्बन्धित माल के विनिर्माण या उत्पादन में लगे हुए या अंतिम उत्पाद, जो एक सुभिन्न नाम या लक्षण या उपयोग रखता हो, के मूल्य वर्धन की प्रक्रिया में संयंत्र और मशीनरी का नियोजन करने वाले, उद्यमों की दशा में, जैसेः–

(क) एक **सूक्ष्म उद्यम**, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पच्चीस लाख रूपये से अधिक न हो।

(ख) एक **लघु उद्यम**, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पच्चीस लाख रूपए से अधिक हो किन्तु पांच करोड़ से

अधिक न हो, या

(ग) एक **मध्यम उद्यम**, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पांच करोड़ रूपए से अधिक हो परन्तु दस करोड़ रूपए से अधिक न हो।

टिप्पणी:– वर्तमान में निर्धारित उक्त सीमा के अतिरिक्त विनिर्माणक एम.एस.एम.ई. की परिभाषा वही होगी जैसा कि भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाय।

III सेवा प्रदाता उद्यम:–

सेवा प्रदाता उद्यम से तात्पर्य ऐसे उद्यम से है, जिसे सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनिमय–2006 में परिभाषित किया गया हो तथा जिसके सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचनायें जारी की गई हों। सेवायें प्रदान करने या उपलब्ध कराने में लगे उद्यमों की दशा में,

(क) एक ऐसे **सूक्ष्म उद्यम** के रूप में जहां उपकरण में विनिधान दस लाख रूपये से अधिक न हो,

(ख) एक ऐसे **लघु उद्यम** के रूप में जहां उपकरण में विनिधान दस लाख रूपए से अधिक हो किन्तु दो करोड़ रूपये से अधिक न हो, या

(ग) एक ऐसे **मध्यम उद्यम** के रूप में जहां उपकरण में विनिधान दो करोड़ रूपये से अधिक हो किन्तु पांच करोड़ से अधिक न हो।

टिप्पणी:– वर्तमान में निर्धारित उक्त सीमा के अतिरिक्त सेवा क्षेत्र की एम.एस.एम.ई. की परिभाषा वही होगी जैसा कि भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाय।

विनिर्माणक/ उत्पादक तथा सेवा क्षेत्र के चिन्हित उद्यम

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 31 जनवरी, 2015 के प्रस्तर–2 तथा समय–समय पर जारी संशोधनों से सम्बन्धित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2016, दिनांक 06 जुलाई, 2018 तथा दिनांक 08 मार्च, 2019 में वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिए चिन्हित सेवा/विनिर्माणक (manufacturing) क्षेत्र के उद्यमों का विवरण निम्नवत् है:–

1. हरित तथा नारंगी प्रवर्ग के अप्रदूषणकारी विनिर्माणक उद्योग:

(क) उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय आदेश संख्या-- UEPPCB / HQ / Gen - 256 / 2016 /862-192 दिनांक 3.5.2016 प्रवर्गीकृत औद्योगिक क्षेत्र की नारंगी, हरित तथा सफेद श्रेणी (Orange, Green and White Category) के उद्यम। **(अनुलग्नक–1)**

(ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग) की अधिसूचना संख्या–102(ई) दिनांक 1 फरवरी, 1989 में दून वैली क्षेत्र के लिए प्रवर्गीकृत नारंगी तथा हरित (Orange and Green Category) श्रेणी के उद्योग / उद्यम। **(अनुलग्नक–2)**

(ग) लाल श्रेणी (Red Category) के अन्तर्गत आच्छादित निम्नांकित गतिविधियां:

(i) Milk Processing and dairy products, Butter & Cheese.

(ii) Manufacturing of Non-alcoholic /alcoholic products alongwith Distillery and Bruwery.

(iii) Manufacturing of Foreign Liquor such as Wine, Whisky, Scotch, Beer, Vintnery, Winery alongwith Distillery and Bruwery.

(iv) Vegetable oils including solvent extraction and refinery/hydrogenated oils.

2. थ्रस्ट सैक्टर उद्योग / क्रियाकलाप:

(क) भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग) के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1(10)/ 2001–एनईआर दिनांक 7 जनवरी, 2003 के एनेक्चर–2 में उल्लिखित थ्रस्ट सैक्टर उद्योगों की चिन्हित गतिविधियॉ / क्रियाकलाप। **(अनुलग्नक–3)**

(ख) भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग) की अधिसूचना संख्या–1(13)/ 2003–एसपीएस दिनांक 14 सितम्बर, 2004 तथा शुद्धीपत्र दिनांक 16 सितम्बर, 2004 में परिभाषित पारिस्थितिक पर्यटन गतिविधियॉ, जिनमें होटल, रिसॉर्ट, स्पा, मनोरंजन / मनो विनोद

(amusement) पार्क तथा रोप–वे सम्मिलित हैं। (अनुलग्नक–4)

3. प्रदेश सरकार से उद्योग का दर्जा प्राप्त गतिविधियाँ:

(क) औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–812/ अ0वि0/2003 दिनांक 29 अक्टूबर, 2003 में अधिसूचित पुष्पकृषि (Floriculture) व्यवसाय। (अनुलग्नक–5)

(ख) उत्तराखण्ड शासन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 478/XXXIV/2018–31/सू0प्रौ0/2014 दिनांक 27 नवम्बर, 2018 से प्राख्यापित "सूचना प्रौद्योगिकी नीति, 2018" में अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवायें (ITES) तथा सूचना प्रौद्योगिकी युक्त अर्बन व रूरल कॉल सेन्टर। (अनुलग्नक–6)

(ग) औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–926/अ.वि./04–05 दिनांक 25 नवम्बर, 2004 में अधिसूचित निर्धारित प्रजनन/वार्षिक क्षमता वाले परिक्षेत्र में स्थापित हेचरी युक्त बॉयलर/लेयर/अण्डा उत्पादन हेतु केन्द्रित रूप से किये जाने वाला व्यवसायिक (Commercial) कुक्कुट पालन। (अनुलग्नक–7)

(घ) पर्यटन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना प्रकीर्ण संख्या 2272/VI /2018–04(01)/2017 दिनांक 26 नवम्बर, 2018 द्वारा उद्योग का दर्जा प्राप्त पर्यटन गतिविधियां, यथाः होटल एवं रिसॉर्ट, साहसिक एवं अवकाशकालीन खेलः बंजी जम्पिंग, पावर बोट्स, कायकिंग, जॉय राइडिंग इन चॉपर्स, सी–प्लेन, हॉट एयर बैलून, स्किल गेम पार्क, पैराग्लाइडिंग, वाटर स्किइंग/सर्फिंग, टैन्ट फॉर कैम्पिंग, राफ्टिंग, केबिल कार, स्नो–स्कीइंग, कैनोइंग, पैरासेलिंग एवं रोप–वेज।

आयुष एवं वैलनेसः स्पॉ एवं कायाकल्प रिसॉर्ट (Spa & Rejunevation Resort), आर्युवेद, योगा, पंचकर्म, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी एवं स्पॉ।

(अनुलग्नक–8)

(ड़) प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–406/XVI/04/298/2002 दिनांक 17 मई, 2002 में उल्लिखित राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड/ राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड/कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में पात्रता रखने वाली गतिविधियां। **(अनुलग्नक–9)**

(च) उत्तराखण्ड शासन, उद्यान एवं रेशम अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2237(2)/XVI(1)/16-05(20)/2012 दिनांक 20 अक्टूबर, 2016 में मेगा फूड पार्क के अन्तर्गत स्थापित होने वाली एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र की खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां व उनकी सहबद्ध पैकेजिंग इकाईयां। **(अनुलग्नक–10)**

(छ) उत्तराखण्ड शासन, उद्यान एवं रेशम अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या 915/XVI-2/18/19(14)2018 दिनांक 28 सितम्बर, 2018 से प्राख्यापित उत्तराखण्ड अरोमा पार्क पॉलिसी में अधिसूचित अरोमा गतिविधियां। **(अनुलग्नक–11)**

(ज) उत्तराखण्ड शासन, आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1367/चालीस/2018-39/2018 दिनांक 28 सितम्बर, 2018 में अधिसूचित आयुष एवं वैलनेस आधारित विनिर्माणक/सेवा उद्यम, यथाः आयुष एवं वैलनेसः स्पॉ एवं कायाकल्प रिसॉर्ट (Spa & Rejunevation Resort), आर्युवेद, योगा, पंचकर्म, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी एवं स्पॉ। **(अनुलग्नक–12)**

(झ) उत्तराखण्ड शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1958/VII-2-18/04(01)–एम0एस0एम0ई0 /2018 दिनांक 05 अक्टूबर, 2018 में अधिसूचित इलेक्ट्रिक वाहन और इसके घटक विनिर्माण इकाइयां (ईवीएमयू), ईवी बैटरी विनिर्माण (ईबीयू), ईवी बैटरी घटक, ईवी चार्जिंग स्टेशन तथा ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यथाः ईवी गतिशील

सेवायें प्रदान करने वाली इकाईयां/स्लो चार्जिंग स्टेशन, बैटरी स्वैपिंग स्टेशन, ईवी और बैटरी की मरम्मत आदि गतिविधियां **(अनुलग्नक–13)**

(ञ) उत्तराखण्ड शासन, ऊर्जा अनुभाग–01 की अधिसूचना संख्या 901/I/2018/03/06(05)/07/2004 दिनांक 03 अगस्त, 2018 में अधिसूचित पिरूल और अन्य बायोमास आधारित विद्युत उत्पादक एम0एस0एम0ई0 उद्यम तथा ब्रिकेटिंग /बायो–ऑयल एम0एस0एम0ई0 परियोजनायें। **(अनुलग्नक–14)**

(अ) ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 1044/I/2013-5/14/2009 दिनांक 27 जून, 2013 (अधिसूचना दिनांक 26 सितम्बर, 2018 से यथासंशोधित) में अधिसूचित/चिन्हित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के सौर ऊर्जा परियोजनायें/उद्यम। **(अनुलग्नक–15)**

(ब) उत्तराखण्ड शासन, सूचना अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 38/XXII/2015–34 (सूचना) 2015 दिनांक 10 अगस्त, 2015 तथा अधिसूचना संख्या 56/XXII(2)/2019–34(सू0)2003 टी.सी.–II दिनांक 06 फरवरी, 2019 से संशोधित उत्तराखण्ड फिल्म नीति में चिन्हित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की विनिर्माणक तथा सेवा गतिविधियां। **(अनुलग्नक–16)**

(स) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 445 /XXXVIII/2018/31/2018 दिनांक 10 दिसम्बर, 2018 से प्राख्यापित उत्तराखण्ड **जैव प्रौद्योगिकी नीति– 2018–23** में चिन्हित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की जैव प्रौद्योगिकी विनिर्माणक तथा सेवा गतिविधियां। **(अनुलग्नक–17)**

4. **<u>केन्द्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए स्वीकृत विशेष औद्योगिक पैकेज में सम्मिलित सेवा क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र की निम्न गतिविधियां:–</u>**

(क) होटल, साहसिक एवं अवकाशकालीन खेल, रोप–वे:–

(i) होटल में किराये पर देने योग्य न्यूनतम 08 कमरों का आवश्यक सुविधाओं युक्त व्यवसायिक भवन।

(ii) होटल भवन निर्माण पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त तथा

उचित पहुंच वाले स्थल पर हो।

(iii) होटल में निर्मित कक्षों का आकार एवं क्षेत्रफल प्रभावी उपनियमों तथा मानकों के अनुरूप हों।

(iv) होटल के कम से कम 50 प्रतिशत कक्षों में attached स्नानगृह/प्रसाधन/शौचालय की सुविधा हो।

(v) होटल के शेष 50 प्रतिशत कक्षों के लिये भी समुचित प्रसाधन/स्नानगृह/शौचालय की व्यवस्था हो।

(vi) होटल में ठण्डे/गरम पानी की आपूर्ति की समुचित व्यवस्था हो।

(vii) होटल में टेलीफोन सुविधा युक्त स्वागत कक्ष हो तथा होटल का फर्नीचर साफ व आरामदायक हो।

(viii) होटल का भोजनालय स्वच्छ, हवादार, आधुनिक उपकरणों से सुजज्जित हो तथा होटल में स्वच्छता हेतु पर्याप्त व्यवस्था हो।

(ix) खेल तथा पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा साहसिक एवं अवकाशकालीन खेलों में अनुमोदित गतिविधियॉं।

(x) पर्यटन विभाग/राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी से साहसिक तथा अवकाशकालीन खेल, आमोद/मनोरंजन पार्क, केबिल कार, रोप–वे, स्पा क्रियाकलापों की अनुज्ञा प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

(ख) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं युक्त नर्सिंग होमः–

(i) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं/सुविधाओं युक्त नर्सिंग होम/चिकित्सालय, जैसेः ऐलोपैथिक, आर्युवेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी तथा प्रमाणिक अन्य परम्परागत तरीके से रोग निरपेक्ष की सुविधाओं युक्त चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य देखभाल सेवायें (पुरानी एवं गम्भीर स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार/निदान, स्वास्थ्य लाभ हेतु आहार–पोषण, फिजियोथेरेपी, डायग्नोस्टिक /पैथोलॉजी सुविधाओं युक्त)।

(ii) नगरपालिका तथा टाउन एरिया के अन्तर्गत स्थापित

आधुनिक पद्धति के चिकित्सा उपकरण, एक्सरे, अल्ट्रासाउण्ड, क्लीनिकल पैथोलॉजी, टीकाकरण, सुरक्षित प्रसव की सुविधा, ऑपरेशन थियेटर, औषधि भण्डार तथा आपातकालीन सुविधाओं युक्त 10 बिस्तरों वाला नर्सिंग होम/चिकित्सालय, जिनमें कम से कम एक शल्य/काय चिकित्सा विशेषज्ञ सहित दो सामान्य चिकित्सक (जिनकी न्यूनतम अर्हता एम.डी./एम.एस./एम.बी.बी.एस./बी. आई.एम.एस. अथवा चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सक की डिग्री हो) तथा आवश्यक संख्या में (कम से कम 5) प्रशिक्षित महिला/पुरूष सहायक पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध हो।

(iii) नगरपालिका तथा टाउन एरिया की परिधि से न्यूनतम 20 कि.मी. से अधिक की दूरी पर स्थापित आधुनिक पद्धति के आवश्यक चिकित्सा उपकरण, सुरक्षित प्रसव की सुविधा, टीकाकरण, ई.सी.जी. तथा आवश्यक जीवन रक्षक दवायें एवं आपातकालीन सुविधाओं युक्त 5 बिस्तरों वाला नर्सिंग होम/चिकित्सालय, जिनमें कम से कम एक एम.बी.बी.एस. डिग्री धारक चिकित्सक (Physician) तथा एक प्रशिक्षित महिला नर्स एवं दो अन्य सहायक पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध हो।

(iv) आयुर्वेदिक, यूनानी, होमियोपैथी तथा पंचकर्म पद्धति से चिकित्सा एवं उपचार के लिये स्थापित चिकित्सा केन्द्र भी नर्सिंग होम की श्रेणी में आयेंगे, किन्तु इसके लिये आयुर्वेदिक, यूनानी, होमियोपैथी चिकित्सा परिषद, जहॉ से भी अनुज्ञा/पंजीकरण/ अनुमोदन वांछित हो, प्राप्त कर सम्बन्धित पद्धति से चिकित्सा एवं उपचार के लिये निर्धारित मानकों एवं दिशा–निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया हो।

(v) नर्सिंग होम की स्थापना के लिये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय/चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों/ दिशा–निर्देशों का पालन करना पूर्णतः अनिवार्य होगा।

(vi) नर्सिंग होम में चिकित्सा एवं उपचार के लिये सम्बन्धित अधिनियम/नियमों के अधीन केन्द्रीय/प्रादेशिक चिकित्सा परिषद, जहॉ से भी अनुज्ञां/पंजीकरण/ अनुमोदन वांछित हो, प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(ग) व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थानः–

(i) भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय(नीति एवं संवर्द्धन विभाग) की अधिसूचना संख्या–10(3)/007–डीवीए–II/ एनईआर दिनांक 21 सितम्बर, 2007 **(अनुलग्नक–10)** में प्रस्तर–1(v) में उल्लिखित व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, यथाः होटल प्रबन्धन, कैटरिंग तथा फूड क्राफ्ट्स, उद्यमिता विकास, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल, नागरिक उड्डयन से सम्बन्धित प्रशिक्षण, फैशन डिजाईनिंग, औद्योगिक एवं कौशल विकास तथा फिल्म सिनेमेटोग्राफी (कैमरामैन), साउण्ड इंजीनियरिंग, एडिटिंग (सम्पादन), निर्देशन, अभिनय, स्टोरी एण्ड डायलॉग लेखन, नृत्य शैली, संगीत में डिप्लोमा कोर्स।

(ii) व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थान अथवा प्रादेशिक तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद अथवा उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन से पंजीकृत/सम्बद्धता (Affiliation)/मान्यता (Accrediation) होनी आवश्यक है तथा प्रशिक्षण का स्तर मान्यता प्राप्त संस्थाओं के अनुरूप अपेक्षित स्तर का हो।

(iii) पैरा मैडिकल डिप्लोमा प्रशिक्षण केन्द्र/संस्थान खोलने हेतु केन्द्र/राज्य के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग द्वारा अनुमोदित नियमावली के अनुसार शासकीय निकाय से प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्र खोलने की अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

5. **जैव प्रौद्योगिकीः**

जैव प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत अनुमोदित समस्त गतिविधियॉं, जिनमें उपकरण, यंत्र–संयंत्र की सहायता से उत्पादन अथवा प्रयोगशाला में जैव प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित कार्य किया जा रहा हो।

6. **संरक्षित कृषि एवं औद्यानिकी, कोल्ड स्टोरेजः**

(क) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड/राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड/कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

द्वारा अनुमोदित/संचालित गतिविधियां, यथाः एकीकृत कोल्ड स्टोरेज इकाई (जिसमें Shorting, Grading, Packaing & Cooling की सुविधा हो), फल, साग–सब्जी प्रसंस्करण एवं डिब्बा बन्दी आदि।

(ख) कृषि एवं औद्यानिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अधिसूचित संरक्षित कृर्षि एवं औद्यानिकी गतिविधियॉ।

(ग) सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम मंत्रालय द्वारा ए.एस.आई.सी.सी.. –2000 एवं एन.आई.सी.–2004 में वर्गीकृत सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र के पौली हाउसेज/ग्लास हाउसेज/निर्मित शेडों से संरक्षित कृषि उत्पाद, यथाः टिस्यू कल्चर, मशरूम उत्पादन, लाइव ट्रीज, प्लान्ट्स, बल्ब्स, रूट्स, कट फ्लावर, बोनजोई, और्नामेटल तथा हाईड्रोफोनिक्स आदि गतिविधियॉ।

(घ) विशिष्टविधि वातारण नियंत्रण सुविधा से युक्त शीत भण्डार।

(ड) सिडकुल/उद्योग विभाग द्वारा विकसित अरोमा पार्क में स्थापित होने वाले अरोमा क्रियाकलापों/गतिविधियों का विवरण निम्न प्रकार से है:–

- सुगंधित उपज से आवश्यक तेलों का आसवन और निष्कर्षण।
- सुगंध रसायनों का विखंडन।
- खुशबू और स्वाद निर्माण (सम्मिश्रण)।
- धूप और अगरबत्ती निर्माण।
- सुगंधित और पाक जड़ी बूटियों को सूखाना और पैकेजिंग।
- इत्र और डियोडोरेंट विनिर्माण।
- विभिन्न सुगंध उत्पादों की डिजाइनिंग और पैकेजिंग।
- स्वाद और मिश्रित चाय।
- सुगंध मोमबत्तियाँ / विसारक / हस्तनिर्मित

साबुन।

- कॉस्मेस्यूटिकल्स।
- अरोमा थेरेपी उत्पाद।

7. **पैट्रोल एवं डीजल पम्पिंग स्टेशन, गैस गोदामः–**

(i) श्रेणी 'ए' में वर्गीकृत जनपद/क्षेत्र की नगरपालिका/टाऊन एरिया से बाहर, जहां पर पैट्रोल एवं डीजल पम्प तथा गैस गोदाम की सुविधा पहले से उपलब्ध हो, से न्यूनतम 10 कि. मी. की दूरी पर स्थापित होने वाले पैट्रोल एवं डीजल पम्प तथा गैस गोदाम। श्रेणी 'बी' के जनपद/क्षेत्रों यह दूरी न्यूनतम 25 कि. मी. होगी।

(ii) पैट्रोल, डीजल तथा गैस गोदाम की स्थापना के लिए भारत सरकार/राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से उद्यम की स्थापना के लिए नियमानुसार अनुज्ञा प्राप्त की गई हो।

8. **एम.एस.एम.ई. नीति के अन्तर्गत समय–समय पर पात्र गतिविधियों में सम्मिलित किये गये सेवा/विनिर्माणक उद्यम/क्रियाकलाप।**

योजना से व्यवहृत इकाईयां

1. कार्यालय ज्ञाप दिनांक 31 जनवरी, 2015 के प्रस्तर–2 में तथा तत्सम्बन्ध में समय समय पर अधिसूचित सभी विनिर्माणक/उत्पादक तथा सेवा क्षेत्र की चिन्हित निजी क्षेत्र के उद्यमों, जिनको इस नियमावली में स्पष्ट किया गया है, को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति में प्रदत्त अनुदान/रियायतों व अन्य प्रोत्साहन सुविधाओं का लाभ पात्रता के आधार पर अनुमन्य होगा। ऐसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना अथवा विस्तार के लिए उक्त **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्रियान्वयन आदेश–2015 (यथासंशोधित– 2020)** जारी होने के पश्चात सभी आवेदकों को www.investuttarakhand.com पर नये उद्यम की स्थापना अथवा विद्यमान उद्यम के विस्तार के लिए ऑनलाइन कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में आवेदन कर जिला प्राधिकृत समिति से उद्यम की स्थापना/विस्तार के लिए सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी तथा उद्यम की स्थापना /विस्तारीकरण के पश्चात उत्पादन प्रारम्भ करने के बाद सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार में उद्योग आधार

ज्ञापन फाईल कर "उद्योग आधार" प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहन एवं सुविधायें नई औद्योगिक इकाईयों, यदि सम्बन्धित योजनाओं में अन्यथा विनिर्दिष्ट किया गया हो, को ही उपलब्ध होंगी।

स्पष्टीकरण: ऐसे आवेदक, जिन्होने नीति लागू होने के पश्चात नये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की स्थापना अथवा विद्यमान उद्यम के पर्याप्त विस्तारीकरण के लिए नीति के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिए पूर्व पंजीकरण प्राप्त किया हो अथवा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम–2006 के अन्तर्गत ईएम पार्ट–1 या पार्ट–2 फाइल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की गयी हो, को योजना की अर्हता पूर्ण करने पर पात्रता के आधार पर नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहन सुविधाओं का लाभ अनुमन्य होगा।

नये उद्यम की परिभाषा 1. **नये उद्यम से तात्पर्य ऐसे उद्यम से है, जिसकी स्थापना हेतु प्रभावी कदम (steps) 31 जनवरी, 2015 के पश्चात् उठाये गये हों। उद्यम की स्थापना हेतु प्रभावी कदम की तिथि के निर्धारण के लिये निम्नलिखित में से किसी एक या एक से अधिक उपाय, जो भी पहले घटित हो, से अभिप्रेत हैं:–**

(क) विनिर्माणकारी कार्यकलाप के लिए अपेक्षित फैक्ट्री बिल्डिंग का निर्माण पूर्ण होने का दिनांक।

(ख) उत्पादक तथा सेवा उद्यम के संचालन के लिए कार्यशाला भवन किराये अथवा लीज पर लिये जाने का दिनांक।

(ग) उत्पादन/व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु विद्युत संयोजन प्राप्त करने का दिनांक।

(घ) प्रथम कच्चामाल क्रय/तैयार माल विक्रय करने की तिथि।

(ङ) उद्यम के लिये अपेक्षित किसी संयंत्र तथा मशीनरी की आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ता को निश्चित आदेश दिये जाने का दिनांक।

(च) उद्यम की स्थापना के लिए वित्त पोषक बैंक द्वारा स्वीकृत सावधि/कार्यशील पूंजी ऋण की किश्त का

संवितरण/भुगतान न किया गया हो।

(छ) उद्यमी द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम अधिनियम–2006 के अन्तर्गत उद्योग आधार ज्ञापन फाइल करने का दिनांक।

<u>स्पष्टीकरण:</u>

1- वित्तीय संस्था से तात्पर्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, राज्य सरकार की अनुमोदित वित्तीय संस्था, आई.एफ.सी.आई., आई.सी.आई.सी.आई., आई.डी.बी.आई., सिडबी, नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक तथा भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित वित्त पोषक संस्था/बैंक से है।

2- निर्दिष्ट अरोमा पार्क में स्थापित होने वाली नयी इकाई को नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:–

1. पहले से मौजूद किसी व्यवसाय के विभाजन अथवा पुनर्गठन से इसका निर्माण न हुआ हो।
2. पहले किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग में आने वाले संयंत्र या मशीनरी के किसी नई इकाई में हस्तांतरण से इसका निर्माण न हुआ हो।
3. यह अन्यत्र से विस्थापित नहीं की गई हों और /अथवा यह पहले से मौजूद इकाई नहीं होनी चाहिए जिसे नया नाम एवं स्टाइल दिया गया हो।
4. उत्पाद विशेष के लिए चिन्हित **(Designated)** पार्क में उद्योग की स्थापना की गयी हो।
5. उत्पाद विशेष के विनिर्माण/प्रंसस्करण के लिए स्थानीय संसाधनों पर आधारित कच्चा माल, यथा: सगन्ध पौध/प्रजातियों/जड़ी–बूटियाँ आदि राज्य के भीतर से अधिप्राप्त किया गया हो।

विद्यमान औद्योगिक एकक के पर्याप्त विस्तारीकरण की परिभाषा

1. विद्यमान औद्योगिक एकक से वह औद्योगिक एकक अभिप्रेत है, जिसने दिनांक 31 जनवरी, 2015 से पूर्व अपना व्यवसायिक उत्पादन/गतिविधि प्राचलन शुरू कर दिया था।

2. पर्याप्त विस्तार का अर्थ है कि विद्यमान औद्योगिक एकक के

क्षमता के विस्तार /आधुनिकीकरण और विविधीकरण के प्रयोजन के लिए संयंत्र तथा मशीनरी के स्थिर पूंजी निवेश के मूल्य में न्यूनतम 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गयी हो।

3. ऐसे विद्यमान उद्यम जिनके पर्याप्त विस्तारीकरण हेतु दिनांक 31 जनवरी, 2015 के पश्चात प्रभावी कदम उठाये गये हों।

4. विद्यमान उद्यम के विस्तारीकरण हेतु प्रभावी कदम (steps) की तिथि के निर्धारण के लिये निम्नलिखित में से किसी एक या एक से अधिक उपाय, जो भी पहले हो, से अभिप्रेत हैं:–

(क) विनिर्माणक/सेवा गतिविधि के लिए अपेक्षित कार्यशाला भवन का निर्माण पूर्ण होने का दिनांक।

(ख) उत्पादक तथा सेवा उद्यम के संचालन के लिए कार्यशाला भवन किराये अथवा लीज पर लिये जाने का दिनांक।

(ग) उत्पादन/व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु विद्युत संयोजन प्राप्त करने का दिनांक।

(घ) प्रथम कच्चामाल क्रय/तैयार माल विक्रय करने की तिथि।

(ङ) उद्यम के संचालन के लिये अपेक्षित संयंत्र व मशीनरी अथवा उपकरणों का कार्यशाला में अधिष्ठापन।

(च) विद्यमान उद्यम के विस्तारीकरण के लिए वित्तीय संस्था/बैंक से प्रस्तावित कुल स्थिर पूंजी निवेश के सापेक्ष 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक धनराशि प्रदत्त की जा चुकी हो।

(छ) विद्यमान उद्यम के विस्तारीकरण के पश्चात सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 के अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में उद्योग आधार ज्ञापन फाइल कर उद्योग आधार प्राप्त करने का दिनांक।

उत्पादन/व्यवसाय प्रारम्भ करने का दिनांक

उत्पादन/व्यवसाय प्रारम्भ करने के दिनांक से तात्पर्य उस दिनांक से होगा, जब नये स्थापित विनिर्माणक/सेवा उद्यम द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन/व्यवसाय विधिवत् प्रारम्भ कर दिया गया हो, जो कि महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्रमाणित हो। उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक के विनिश्चय के लिए निम्नलिखित उपायों को संज्ञान में लिया जाएगा:–

(क) इकाई में निर्मित किये जाने वाले उत्पाद के विनिर्माण अथवा सेवा के लिए प्रथम कच्चा माल क्रय करने की तिथि।

(ख) इकाई में निर्मित उत्पाद अथवा प्रदत्त सेवा की बिक्री से सम्बन्धित प्रथम बिल की तिथि।

(ग) विद्युत संयोजन प्राप्त करने का दिनांक/मीटर सीलिंग प्रमाण–पत्र की तिथि।

(घ) वाणिज्यिक कर विभाग/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में दाखिल विवरणी में उत्पादन/क्रियाकलाप प्रारम्भ करने की तिथि।

(ङ) उद्यमी द्वारा जिला उद्योग केन्द्र में दाखिल उद्यमी ज्ञापन भाग–2 (E.M. Part-II) की अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार में दर्शायी गई उत्पादन की तिथि।

अचल पूँजी निवेश

अचल पूंजी निवेश से तात्पर्य भूमि, भवन, प्लांट व मशीनरी, यंत्र–संयंत्र तथा उपकरण पर विनियोजित पूंजी से है, जिसकी गणना निम्नवत् की जायेगी। पूंजी निवेश उपादान सहायता की अनुमन्यता हेतु केवल विनिर्माणक उद्यम के कार्यशाला भवन/शेड तथा प्लाण्ट–मशीनरी तथा उपस्कर मद में किये गये अचल निवेश की गणना की जायेगी। सेवा क्षेत्र की औद्योगिक इकाई के लिए संयंत्र व मशीनरी में भवन के निर्माण की लागत और उस विशेष सेवा उद्योग के प्रचालन हेतु बुनियादी रूप से आवश्यक वास्तविक परिसम्पत्तियां शामिल होंगी, किन्तु इसमें भूमि और उपभोज्य, डिस्पोजेबल अथवा राजस्व प्रभार वाली कोई अन्य मद शामिल नहीं होगी।

1. भूमिः–

भूमि मद में किये गये स्थिर पूंजी निवेश को उपादान हेतु गणना में नहीं लिया जायेगा।

2. भवनः–

(क) उद्यम में उत्पादन कार्य हेतु स्वयं की भूमि पर अथवा विधिसम्मत रूप से लीज/पट्टे पर ली गई भूमि में निर्मित किये गये कार्यशाला भवन में किये गये पूँजी निवेश को पूंजीगत उपादान सहायता हेतु गणना में लिया जायेगा। कार्यालय/आवसीय एवं अन्य प्रयोजन हेतु निर्मित भवन को इसमें सम्मिलित नहीं किया जायेगा। सेवा क्षेत्र के उद्यमों के लिए संयंत्र और मशीनरी में भवन के निर्माण की लागत और उस विशेष सेवा उद्यम के प्रचालन हेतु बुनियादी रूप से आवश्यक

वास्तविक परिसम्पत्तियां भी गणना में शामिल होंगी, लेकिन इसमें भूमि और उपभोज्य, डिस्पोजल अथवा राजस्व प्रभार वाली कोई अन्य मद शामिल नहीं होगी। किराये के भवन में स्थापित उद्यम में अधिष्ठापित संयंत्र और उपस्कर तथा सेवा विशेष उद्यम के प्रचालन के लिए सृजित बुनियादी आवश्यक परिसम्पत्तियां को ही उपादान हेतु गणना में नहीं लिया जायेगा, किन्तु पूंजीगत उपादान सहायता की पात्रता के लिए किराये पर लिये गये भवन की कम से कम 5 वर्ष की वैध पंजीकृत किरायेदारी होनी आवश्यक है।

(ख) भवन निर्माण लागत का मूल्यांकन लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित निर्माण की दरों अथवा वास्तविक लागत जो भी कम हो के आधार पर किया जायेगा।

(ग) स्वयं के स्वामित्व/क्रय किये गये/लीज पर लिये गये भवन में उद्यम संचालन हेतु आवश्यक अतिरिक्त निर्माण/परिवर्धन/ रिनोवेशन पर किये गये व्यय को भी स्थिर पूंजी निवेश में शामिल किया जायेगा। उक्त निवेश की गणना निम्नलिखित प्रावधानों के अधीन होगी:–

(i) अतिरिक्त निर्माण/परिवर्द्धन/रिनोवेशन कार्य कराने से पूर्व इसकी अनुमति सम्बन्धित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र से ली गई हो।

(ii) उक्त का व्यय आंगणन चाटर्ड इंजीनियर/राजकीय विभाग के सक्षम अभियन्ता से प्राप्त की गई हो।

(iii) उपादान दावे के समय, रिनोवेशन से पूर्व तथा बाद के फोटोग्राफ तिथि सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(घ) उद्यम के कार्यशाला भवन का मानचित्र सक्षम प्राधिकारी, यथा: SIDA, जिला विकास प्राधिकरण अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी/प्राधिकरण से स्वीकृत/अनुमोदित हो।

3. मशीनरी:–

(क) मशीनरी संयत्र एवं उपकरणों के मूल्य की गणना करते समय जो मशीनें, संयत्र व उपकरण इकाई की कार्यशाला में उपलब्ध/प्राप्त हो गये हों तथा जिन्हें

स्थापना स्थल पर पूर्ण रूप से अधिष्ठापित कर दिया गया हो, को उपादान हेतु अचल पूंजी निवेश के अन्तर्गत लिया जायेगा। अन्य उपकरणों, जिसमें टूल, जिग्स, डाईयॉ तथा मोल्ड्स जैसे उत्पादक उपकरणों की लागत, बीमा प्रीमियम, उनकी परिवहन लागत तथा अधिष्ठापन व्यय को भी इसमें शामिल किया जायेगा।

(ख) नर्सिंग होम के लिए भवन निर्माण लागत (भूमि के मूल्य को छोड़कर), आपातकालीन सेवाओं, जनरल सर्जरी, प्रसव सुविधा, पैथोलाजी, रेडियोलाजी, ई.सी.जी. से सम्बन्धित उपकरणों पर किये गये स्थिर पूंजी निवेश तथा एम्बुलेन्स के रूप में उपयोग में लाये जा रहे एक रोगी भार वाहन को प्लांट व मशीनरी के अन्तर्गत गणना में लिया जायेगा।

(ग) विनिर्माणक तथा सेवा क्षेत्र के उद्यमों द्वारा उत्पादों के विपणन, कच्चा माल तथा तैयार माल के परिवहन तथा सेवा कार्यों हेतु उपयोग में लाये जा रहे अधिकतम एक परिवहन भार वाहन पर किया गया स्थिर पूंजी निवेश भी निवेश प्रोत्साहन सहायता के लिए गणना में लिया जायेगा। निवेश प्रोत्साहन सहायता के लिए पूंजी निवेश आंगणन हेतु परिवहन भार वाहन पर किया गया कुल निवेश, प्लांट व मशीनरी/भवन में किये गये कुल अचल पूंजी निवेश (भूमि पर व्यय को छोड़कर) के 10 प्रतिशत सीमा के अन्तर्गत ही हो।

(घ) साहसिक एवं अवकाशकालीन खेलों, आमोद एवं मनोरंजन पार्क, केबिल कार, रज्जु मार्ग (Ropeways) एवं स्पॉ परियोजनाओं के संचालन के लिए अपेक्षित आधारभूत अवस्थापना से सम्बन्धित Items एवं उपकरण (भूमि को छोड़कर) जरूरी हैं। अतः इन परियोजनाओं के संचालन के लिए वांछित उपकरणों एवं अन्य आधारभूत अवस्थापनाओं पर किया गया स्थिर पूंजी निवेश (भूमि पर किये गये निवेश को छोड़कर) को प्लांट व मशीनरी के अन्तर्गत गणना में लिया जायेगा।

(ङ) व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए भवन निर्माण लागत (भूमि के मूल्य को छोड़कर), सभी अपेक्षित

उपकरणों, कार्यालय संयंत्रों तथा ऐसे ही अन्य इलैक्ट्रो मैकेनिकल या इलैक्ट्रॉनिक एप्लाइन्सेज/इक्विपमेन्ट्स, जो कि सीधे सम्बन्धित सेवा से जुड़े हुए हैं, जिनमें क्लासरूम इक्विपमेन्ट, मशीन रूम इक्विपमेन्ट, लैबोरेट्री इक्विपमेन्ट तथा आवश्यक फर्नीचर एवं फिक्चर (कन्ज्यूमेबल तथा डिस्पोजेबल आइटम्स/कम्पोनन्ट्स को छोड़कर) में किये गये स्थिर पूंजी निवेश को प्लांट व मशीनरी के अन्तर्गत गणना में लिया जायेगा।

(च) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग से सम्बन्धित उपकरण और सहायक उपकरण, लैबोरेट्री में बॉयोटैक्निकल प्रोसेस के संचालन हेतु अपेक्षित आवश्यक पुर्जो, पायलट और पर्याप्त आवश्यक सिविल अवस्थापना (भूमि के मूल्य को छोड़कर) में किये गये स्थिर पूंजी निवेश को प्लांट व मशीनरी के अन्तर्गत गणना में लिया जायेगा, किन्तु जैव प्रौद्योगिकी प्रसंस्करण के लिए वांछित सॉल्वेन्ट, रासायनिक, अभिकर्मकों और अन्य कम्ज्यूमेबल्स व डिस्पोजेबल्स को इसमें सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(छ) निदर्शी अरोमा क्रियाकलापों/गतिविधियों से सम्बन्धित संयंत्र एवं मशीनरी, उपकरण, लैबोरेट्री में बायोटैक्निकल प्रोसेस के संचालन हेतु आवश्यक पुर्जो, पायलट और पर्याप्त आवश्यक सिविल अवस्थापना मदों के सम्बन्ध में उपादान हेतु गणना में लिये जाने वाले अई मद का सत्यापन सगन्ध पौध केन्द्र द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।

औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र की परिभाषा

1. **औद्योगिक आस्थान का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे क्षेत्र से होगा, जो औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र घोषित किया गया हो।**

(क) सरकारी औद्योगिक आस्थान से तात्पर्य ऐसे औद्योगिक आस्थान से होगा जो पूर्णतया राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के उपक्रम द्वारा विकसित किया गया हो तथा जिस क्षेत्र को ऐसा घोषित किया गया हो।

(ख) निजी औद्योगिक आस्थान से तात्पर्य ऐसे औद्योगिक आस्थान से होगा जो कि पूर्णतया निजी उद्यमी के स्वामित्व में प्रदेश की औद्योगिक नीति के तहत स्थापित किया गया हो या जो क्षेत्र ऐसे आस्थान/क्षेत्र के रूप में

सरकार द्वारा घोषित किये गये हों।

2. अवस्थापना सुविधाओं के विकास से तात्पर्य भूमि के विकास तथा आस्थान के अंदर ऐसी अधोसंरचनात्मक सुविधायें जिनमें विद्युत, सड़क, जलापूर्ति, सम्पर्क मार्ग एवं नालियों का निर्माण भी सम्मिलित है, के सृजन एवं सुदृढ़ीकरण से है।

नीति के क्रियान्वयन, प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों की समीक्षा, संशोधन/संवर्धन तथा नवीन उपायों/सुविधाओं को सम्मिलित किये जाने की प्रक्रिया

1. नीति में वर्गीकृत क्षेत्रों की औद्योगिक स्थिति पर्यावरण एवं सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश के अनुरूप औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के दृष्टिगत स्वीकृत योजनाओं/परियोजनाओं की समय–समय पर समीक्षा, उनमें वांछित संशोधन/संवर्द्धन तथा आवश्यकतानुसार नवीन सुविधाओं/उपायों को योजना में सम्मिलित करने तथा उनके क्रियान्वयन के लिये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–184/सात–2–15/ 146–एमएसएमई/2013 दिनांक 31 जनवरी, 2015 से नीति के क्रियान्वयन हेतु मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में गठित प्राधिकृत समिति तथा मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित समन्वय एवं अनुश्रवण समिति अधिकृत रहेगी। राज्य स्तर पर गठित प्राधिकृत समिति तथा समन्वय एवं अनुश्रवण समिति उक्त ज्ञाप में वर्णित कार्यों के निर्वहन के लिए भी उत्तरदायी होगी।

योजना के अनुमोदन तथा अनुदान सहायता की स्वीकृति की प्रक्रिया

2. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति में प्रदत्त अनुदान सुविधाओं/रियायतों की स्वीकृति के लिये राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव/सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन निम्नानुसार किया जायेगा:–

(1)	प्रमुख सचिव/सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, उत्तराखण्ड शासन	**अध्यक्ष**
(2)	प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन/ लोक निर्माण विभाग/कृषि एवं औद्यानिकी/ ऊर्जा/ वन एवं पर्यावरण/ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/ प्राविधिक शिक्षा/ खेल एवं क्रीड़ा /खादय एवं रसद /आयुष /सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी, जो कि अपर सचिव के स्तर का हो।	**सदस्य**

(3)	अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
(4)	वित्त नियंत्रक, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड	सदस्य
(5)	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक	सदस्य
(6)	बैंक/वित्तीय संस्थाओं के राज्य स्तरीय अधिकारी	सदस्य
(7)	महानिदेशक एवं आयुक्त उद्योग/निदेशक उद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, उत्तराखण्ड	सदस्य सचिव

इस समिति को रू. 10 लाख से अधिक के अनुदान एवं वित्तीय सहायता के दावे पात्र इकाईयों को स्वीकृत करने का अधिकार होगा। यह समिति स्वप्रेरणा से रैण्डम आधार पर जनपद स्तरीय समितियों द्वारा स्वीकृत दावों का परीक्षण/समीक्षा भी कर सकेगी।

3. **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति में प्रदत्त अनुदान सुविधाओं/रियायतों की स्वीकृति के लिये जिला स्तर पर जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला उद्योग मित्र की उप समति का गठन निम्नानुसार किया जायेगाः–**

(1)	जनपद के जिलाधिकारी	अध्यक्ष
(2)	जनपद के मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
(3)	अग्रणी जिला बैंक प्रबन्धक	सदस्य
(4)	जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी	सदस्य
(5)	जिला पर्यटन/कृषि/उद्यान अधिकारी/ उपायुक्त वाणिज्यकर /सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी /उरेडा /आयुष विभाग /सूचना प्रौद्योगिकी विभाग /जैव प्रौद्योगिकी विभाग /प्रभारी, सगन्ध पौध केन्द्र, सेलाकुई अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
(6)	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य सचिव

इस समिति को रू. 10 लाख तक के अनुदान एवं वित्तीय सहायता के दावे पात्र इकाईयों को स्वीकृत करने का अधिकार होगा। समिति के अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह यदि चाहें, तो आवश्यकतानुसार अन्य विभागों/संस्थाओं के जिला

स्तरीय अधिकारियों को भी बैठक में आमंत्रित कर सकेंगे।

अनुदान की सीमा

1. एम0एस0एम0ई0 नीति के अन्तर्गत स्थापित होने वाली नयी तथा विस्तारीकरण की इकाईयों को केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित पूंजी निवेश उपादान योजना/निवेश प्रोत्साहन योजना में से केवल एक ही श्रोत से उपादान सहायता का लाभ अनुमन्य होगा।

प्राविधानों में संशोधन तथा/या छूट/ रद्द करने का प्राधिकार

1. **शासन को यह प्राधिकार होगा कि वह इस योजना के संगत प्रावधानों में किसी भी समय संशोधन अथवा परिवर्तन कर सकता है:**

   (क) इन नियमों में किसी भी प्रकार का संशोधन या उनको रद्द करने,

   (ख) उचित स्तर पर प्रत्येक मामले में गुण–दोष के आधार पर सम्यक् विचारोपरान्त इन नियमों के प्राविधानों को लागू करने में छूट देने, अथवा

   (ग) नियमों के प्राविधानों में अतिरिक्त शर्त आरोपित करने या यदि शासन चाहे, तो प्रत्येक मामले में सम्यक् विचारोपरान्त प्रोत्साहनों को प्रतिबन्धित कर सकेगी।

   (घ) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 (यथासंशोधित–2016, 2018 व 2019) में प्रदत्त विभिन्न सुविधाओं/सहायताओं के सम्बन्ध में पृथक से भी योजनाओं की गाइड लाइन्स जारी की जायेंगी।

अन्य

1. इस आदेश से सम्बन्धित योजनाओं के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में यदि कोई स्पष्टीकरण वांछित होगा, तो ऐसे मामले स्पष्टीकरण जारी करने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग अधिकृत होगा।

2. इस आदेश/आदेश से सम्बन्धित योजनाओं में निहित किसी भी विषय–बिन्दु पर अस्पष्टता की स्थिति में स्पष्टीकरण जारी करने का अधिकार आयुक्त/महानिदेशक उद्योग अथवा निदेशक उद्योग, उत्तराखण्ड में निहित होगा।

3. अनुदान तथा वित्तीय सहायता से सम्बन्धित अभिलेखों, लेखा–जोखा, सम्बन्धित सूचनाओं के रख–रखाव एवं आडिट आदि के लिये सम्बन्धित जनपद के महाप्रबन्धक/प्रभारी महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र उत्तरदायी होंगे।

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 680/VII–3–20/146(एम.एस.एम.ई.)/2013 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त, कुमांऊ/गढ़वाल।
5. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।
6. निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त महाप्रबन्धक/प्रभारी महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तराखण्ड।
9. निजी सचिव–मा. लघु उद्योग मंत्री, उत्तराखण्ड को मा. मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
10. निदेशक, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बिष्ट)
उप सचिव।

निवेश प्रोत्साहन सहायता योजना

1.	संक्षिप्त नाम	यह योजना 'निवेश प्रोत्साहन सहायता योजना कहलायेगी।
2.	योजना का प्रारम्भ और अवधि	यह योजना दिनांक 31 जनवरी, 2015, जैसा कि कार्यालय ज्ञाप दिनांक 31 जनवरी, 2015 तथा दिनांक 08 मार्च, 2019 में जैसा कि विहित किया गया है, से लागू होकर दिनांक 31 मार्च, 2023 तक लागू रहेगी। इस योजनान्तर्गत दिनांक 31 मार्च, 2020 से पूर्व स्थापित होकर उत्पादन में आने वाले चिन्हित नये तथा पर्याप्त विस्तारीकरण के विनिर्माणक तथा सेवा क्षेत्र के उद्यमों को उत्पादन प्रारम्भ करने /सेवा प्रदान करने की तिथि से 31 मार्च, 2025 अथवा मूल नीति में दी गयी अवधि तक, जो भी पहले घटित हो, नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहन का लाभ अनुमन्य होगा, किन्तु दिनांक 31 मार्च, 2020 के पश्चात योजना की वैधता अवधि में उत्पादन प्रारम्भ करने वाले सभी उद्यमों को उत्पादन/वाणिज्यिक गतिविधि प्रारम्भ करने के दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहन सुविधा का लाभ अनुमन्य होगा।
3.	योजना का क्षेत्र	1. यह योजना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–184/सात–2–15/146 एमएसएमई/2013 दिनांक 31 जनवरी, 2015, कार्यालय ज्ञाप संख्या 544/VII-2-16/146–एम.एस.एम.ई. /2013 दिनांक 22 मार्च, 2016 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या 527/VII-3-19 /146–एम.एस.एम.ई./2013 दिनांक 08 मार्च, 2019 से उत्तराखण्ड राज्य के श्रेणी–ए, बी, बी+, सी व डी में वर्गीकृत जनपदों/क्षेत्रों में स्थापित होने वाले नये तथा पर्याप्त विस्तारीकरण के विनिर्माणक तथा सेवा क्षेत्र के उद्यमों के लिए लागू होगी। 2. यह योजना उत्तराखण्ड शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2511/VII-3-19/146–एम0एस0एम0ई0/2016 दिनांक 10 दिसम्बर, 2019 में उल्लिखित निर्दिष्ट सिडकुल/उद्योग विभाग द्वारा विकसित अरोमा पार्क में स्थापित होने वाले चिन्हित नये विनिर्माणक/सेवा अरोमा क्रियाकलापों/गतिविधियों के लिए लागू होगी।

4. पात्रता अवधि — निवेश प्रोत्साहन सहायता योजना का लाभ नीति के अन्तर्गत पात्र चिन्हित विनिर्माणक तथा सेवा क्षेत्र के उद्यमों को, योजना अवधि के दौरान वाणिज्यिक उत्पादन/गतिविधि प्रारम्भ करने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर, निवेश दावा प्रस्तुत करने पर अनुमन्य होगा।

5. नये उद्यम की परिभाषा

1. **नये उद्यम से तात्पर्य ऐसे उद्यम से है, जिसकी स्थापना हेतु प्रभावी कदम 31 जनवरी, 2015 के पश्चात् उठाये गये हों। उद्यम की स्थापना हेतु प्रभावी कदम (steps) की तिथि के निर्धारण के लिये निम्नलिखित में से किसी एक या एक से अधिक उपाय, जो भी पहले हो, से अभिप्रेत हैं:–**

(क) विनिर्माणकारी कार्यकलाप के लिए अपेक्षित फैक्ट्री बिल्डिंग का निर्माण पूर्ण होने का दिनांक।

(ख) उत्पादक तथा सेवा उद्यम के संचालन के लिए कार्यशाला भवन किराये अथवा लीज पर लिये जाने का दिनांक।

(ग) उत्पादन/व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु विद्युत संयोजन प्राप्त करने का दिनांक।

(घ) प्रथम कच्चामाल क्रय/तैयार माल विक्रय करने की तिथि।

(ङ) उद्यम के संचालन के लिये अपेक्षित संयंत्र तथा मशीनरी का कार्यशाला में अधिष्ठापन।

(च) उद्यम की स्थापना के लिए वित्तीय संस्था से प्रस्तावित कुल स्थिर पूंजी निवेश के सापेक्ष 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक धनराशि प्रदत्त की जा चुकी हो।

(छ) उद्यमी द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम अधिनियम–2006 के अन्तर्गत उद्योग आधार ज्ञापन फाइल करने का दिनांक।

स्पष्टीकरण:

1- वित्तीय संस्था से तात्पर्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, राज्य सरकार की अनुमोदित वित्तीय संस्था, आई.एफ. सी.आई., आई.सी.आई.सी.आई., आई.डी.बी.आई., सिडबी, नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक तथा भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित वित्त पोषक संस्था/बैंक से है।

2- निर्दिष्ट अरोमा पार्क में स्थापित होने वाली नयी इकाई को नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:–

1. पहले से मौजूद किसी व्यवसाय के विभाजन अथवा पुनर्गठन से इसका निर्माण न हुआ हो।
2. पहले किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग में आने वाले संयंत्र या मशीनरी के किसी नई इकाई में हस्तांतरण से इसका निर्माण न हुआ हो।
3. यह अन्यत्र से विस्थापित नहीं की गई हों और /अथवा यह पहले से मौजूद इकाई नहीं होनी चाहिए जिसे नया नाम एवं स्टाइल दिया गया हो।
4. उत्पाद विशेष के लिए चिन्हित **(Designated)** पार्क में उद्योग की स्थापना की गयी हो।
5. उत्पाद विशेष के विनिर्माण/प्रसंस्करण के लिए स्थानीय संसाधनों पर आधारित कच्चा माल, यथा: सगन्ध पौध/प्रजातियों/जड़ी–बूटियाँ आदि राज्य के भीतर से अधिप्राप्त किया गया हो।

6. **विद्यमान औद्योगिक एकक के पर्याप्त विस्तारीकरण की परिभाषा**

1. विद्यमान औद्योगिक एकक से वह औद्योगिक एकक अभिप्रेत है, जिसने दिनांक 31 जनवरी, 2015 से पूर्व अपना व्यवसायिक उत्पादन/गतिविधि प्राचलन शुरू कर दिया था।

2. पर्याप्त विस्तार का अर्थ है कि विद्यमान औद्योगिक एकक के क्षमता के विस्तार /आधुनिकीकरण और विविधीकरण के प्रयोजन के लिए संयंत्र तथा मशीनरी के स्थिर पूंजी निवेश के मूल्य में न्यूनतम 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गयी हो।

3. ऐसे विद्यमान उद्यम जिनके पर्याप्त विस्तारीकरण हेतु दिनांक 31 जनवरी, 2015 के पश्चात प्रभावी कदम उठाये गये हों।

4. विद्यमान उद्यम के विस्तारीकरण हेतु प्रभावी कदम (steps) की तिथि के निर्धारण के लिये निम्नलिखित में से किसी एक या एक से अधिक उपाय, जो भी पहले हो, से अभिप्रेत है:–

(क) विनिर्माणक/सेवा गतिविधि के लिए अपेक्षित कार्यशाला भवन का निर्माण पूर्ण होने का दिनांक।

(ख) उत्पादक तथा सेवा उद्यम के संचालन के लिए कार्यशाला भवन किराये अथवा लीज पर लिये जाने का दिनांक।

(ग) उत्पादन/व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु विद्युत संयोजन प्राप्त करने का दिनांक।

(घ) प्रथम कच्चामाल क्रय/तैयार माल विक्रय करने की तिथि।

(ङ) उद्यम के संचालन के लिये अपेक्षित संयंत्र व मशीनरी अथवा उपकरणों का कार्यशाला में अधिष्ठापन।

(च) विद्यमान उद्यम के विस्तारीकरण के लिए वित्तीय संस्था/बैंक से प्रस्तावित कुल स्थिर पूंजी निवेश के सापेक्ष 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक धनराशि प्रदत्त की जा चुकी हो।

(छ) विद्यमान उद्यम के विस्तारीकरण के पश्चात सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 के अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में उद्योग आधार ज्ञापन फाइल कर उद्योग आधार प्राप्त करने का दिनांक।

7. स्वीकार्य पूंजी निवेश सहायता की सीमा/मात्रा

1. **श्रेणी–ए** के जनपदों में स्थापित होने वाले नये तथा पर्याप्त विस्तारीकरण के उद्यमों को कार्यशाला भवन, मशीनरी, संयत्र एवं उपकरणों में किये गये अचल पूँजी निवेश का 40 प्रतिशत, अधिकतम रू. 40.00 लाख (रू. चालीस लाख मात्र) तक।

2. **श्रेणी–बी** के जनपदों/क्षेत्रों में स्थापित होने वाले नये तथा पर्याप्त विस्तारीकरण के पात्र उद्यमों को कार्यशाला भवन, मशीनरी, संयत्र एवं उपकरणों में किये गये अचल पूँजी निवेश का 35 प्रतिशत, अधिकतम रू. 35.00 लाख (रू. पैंतीस लाख मात्र) तक।

3. **श्रेणी–बी+** के जनपदों/क्षेत्रों में स्थापित होने वाले नये तथा पर्याप्त विस्तारीकरण के पात्र उद्यमों को कार्यशाला भवन, मशीनरी, संयत्र एवं उपकरणों में किये गये अचल पूँजी निवेश का 35 प्रतिशत, अधिकतम रू. 35.00 लाख (रू. पैंतीस लाख मात्र) तक।

4. **श्रेणी–सी** के जनपदों/क्षेत्रों में स्थापित होने वाले नये तथा पर्याप्त विस्तारीकरण के पात्र उद्यमों को कार्यशाला भवन, मशीनरी, संयत्र एवं उपकरणों में किये गये अचल पूँजी निवेश का 30 प्रतिशत, अधिकतम रू. 30.00 लाख (रू. तीस लाख मात्र) तक।

5. **श्रेणी–डी** के जनपदों/क्षेत्रों में स्थापित होने वाले नये तथा पर्याप्त विस्तारीकरण के पात्र उद्यमों को कार्यशाला भवन, मशीनरी, संयत्र एवं उपकरणों में किये गये अचल पूँजी निवेश का 15 प्रतिशत, अधिकतम रू. 15.00 लाख (रू. पन्द्रह लाख मात्र) तक।

6. **सिडकुल/उद्योग विभाग द्वारा श्रेणी– बी, बी+, सी व डी में विकसित निर्दिष्ट अरोमा पार्क में स्थापित होने वाले नये चिन्हित अरोमा उद्योगों को उद्यम के प्लान्ट व मशीनरी तथा कार्यशाला भवन में किये गये अचल पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत, अधिकतम रू. 40 लाख।**

8. कार्यशाला भवन, संयंत्र तथा मशीनरी

1. भवनः (अ) उद्यम के उत्पादन कार्य हेतु स्वयं की भूमि पर अथवा विधिसम्मत रूप से लीज/पट्टे पर ली गई भूमि में निर्मित किये गये उद्यम के कार्यशाला भवन में किये गये पूँजी निवेश को उपादान हेतु गणना में लिया जायेगा। किराये के भवन को उपादान हेतु गणना में नहीं लिया जायेगा, किन्तु उपादान हेतु प्लांट व मशीनरी में पूंजी निवेश की गणना तभी की जायेगी, जबकि किराये के भवन की 5 वर्ष की वैध पंजीकृत किरायेदारी हो। कार्यालय/आवसीय एवं अन्य प्रयोजन हेतु निर्मित भवन की लागत को इसमें सम्मिलित नहीं किया जायेगा, केवल विनिर्माणक/उत्पादन तथा सेवा कार्यों के उपयोग के लिये वांछित आवश्यक कार्यशाला भवन/शेड के निर्माण लागत को ही उपादान हेतु गणना में लिया जाएगा।

(ब) स्वयं के स्वामित्व/क्रय किये गये/लीज पर लिये गये भवन में उद्यम संचालन हेतु आवश्यक अतिरिक्त निर्माण/परिवर्धन/ रिनोवेशन पर किये गये व्यय को भी स्थिर पूंजी निवेश में शामिल किया जायेगा। उक्त निवेश की गणना निम्नलिखित प्रावधानों के अधीन होगीः–

(i) अतिरिक्त निर्माण/परिवर्द्धन/रिनोवेशन कार्य कराने से पूर्व इसकी अनुमति सम्बन्धित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र से ली गई हो।

(ii) उक्त का व्यय आंगणन चार्टर्ड इंजीनियर/राजकीय विभाग के सक्षम अभियन्ता से प्राप्त की गई हो।

(iii) उपादान दावे के समय, रिनोवेशन से पूर्व तथा बाद के फोटोग्राफ तिथि सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2. संयत्र एवं मशीनरी एवं उपस्करः–

(अ) संयत्र एवं मशीनरी एवं उपस्करों के मूल्य की गणना करते समय जो मशीनें, संयत्र व उपकरण इकाई की कार्यशाला में उपलब्ध हों तथा जिन्हें स्थापना स्थल पर पूर्ण रूप से

अधिष्ठापित कर दिया गया हो, को उपादान हेतु अचल पूंजी निवेश के अन्तर्गत गणना में लिया जायेगा। अन्य उपकरणों, जिसमें टूल, जिग्स, डाई तथा मोल्ड्स जैसे उत्पादक उपकरणों की लागत, बीमा प्रीमियम, उनकी परिवहन लागत तथा अधिष्ठापन व्यय को भी इसमें शामिल किया जायेगा।

(ब) विनिर्माणक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा उत्पादों के विपणन, कच्चा माल तथा तैयार माल के परिवहन हेतु उपयोग में लाये जा रहे अधिकतम एक परिवहन भार वाहन पर किया गया स्थिर पूंजी निवेश भी निवेश प्रोत्साहन सहायता के लिए गणना में लिया जायेगा। निवेश प्रोत्साहन सहायता के लिए पूंजी निवेश आंगणन हेतु परिवहन भार वाहन पर किया गया कुल निवेश, कुल अचल पूंजी निवेश (भूमि पर व्यय को छोड़कर) के अधिकतम 10 प्रतिशत सीमा तक ही सम्मिलित किया जायेगा।

(स) सेवा क्षेत्र की औद्योगिक इकाई के लिए संयंत्र व मशीनरी में भवन के निर्माण की लागत और उस विशेष सेवा उद्योग के प्रचालन हेतु बुनियादी रूप से आवश्यक वास्तविक परिसम्पत्तियां शामिल होंगी, किन्तु इसमें भूमि और उपभोज्य, डिस्पोजेबल अथवा राजस्व प्रभार वाली कोई अन्य मद शामिल नहीं होगी।

9. **योजना का क्रियान्वयन व सहायता संवितरण हेतु एजेन्सी**

योजना का क्रियान्वयन का दायित्व उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड व उनके अधीनस्थ जिला उद्योग केन्द्रों का होगा।

10. **उपादान सहायता प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया**

1. नये उद्यम स्थापित करने अथवा विद्यमान उद्यम के विस्तारीकरण का आशय रखने वाले उद्यमियों को सर्वप्रथम सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र में www.investuttarakhand.com पोर्टल पर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पर वांछित स्वीकृतियां/अनापत्ति/अनुज्ञा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर जिला प्राधिकृत समिति से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी तथा नये उद्यम की स्थापना/विस्तारीकरण के लिए एम0एस0एम0ई0 नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त करने के लिए कॉमन एप्लीकेशन फार्म के निर्दिष्ट कॉलम पर अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करते हुए एम0एस0एम0ई0 नीति के अन्तर्गत पूर्व पंजीकरण के लिए भी आवेदन करना होगा। ऐसे आवेदक जिन्होने नये उद्यम की स्थापना अथवा विद्यमान उद्यम

के पर्याप्त विस्तारीकरण के लिए एकल खिड़की व्यवस्थान्तर्गत ऑनलाइन CAF दाखिल कर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त नहीं की हो और अपने उद्यम को योजनान्तर्गत पंजीकृत नहीं कराया हो, वह योजना की संशोधित गाईडलाइन्स जारी होने के 45 दिन के भीतर अपने उद्यम को योजनान्तर्गत पंजीकृत करा सकते हैं।

2. योजनान्तर्गत निवेश प्रोत्साहन सहायता की सहायता प्राप्त करने के लिए सामान्य प्रचालनात्मक दिशा–निर्देश तथा दावों के निपटान की विस्तृत प्रक्रिया **अनुलग्नक–1** में दी गई है। उपादान दावे हेतु आवेदन पत्र के विहित प्रारूप पर निम्नलिखित अभिलेखों/दस्तावेजों सहित अनुलग्नक–1 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन की छायाप्रति वांछित अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ manually भी ऑनलाइन आवेदन करने के दिनांक से 7 दिन के भीतर जिला उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी:–

(i) उद्यमी ज्ञापन भाग–1 (जैसी भी स्थिति हो) अथवा CAF की सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति।

(ii) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के प्रकरणों में चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित प्रोजैक्ट रिपोर्ट।

(iii) वित्त पोषक बैंक/वित्तीय संस्था से यदि परियोजना अनुमोदित हो, तो उसकी प्रमाणित प्रति।

(iv) जिला उद्योग केन्द्र में पूंजी निवेश प्रोत्साहन सहायता योजनान्तर्गत पंजीकरण की प्रति अथवा CAF के माध्यम से एम0एस0एम0ई0 नीति के अन्तर्गत जारी पूर्व पंजीकरण की प्रति।

(v) उद्योग आधार/उत्पादन प्रमाण पत्र।

(vi) प्रदूषण अनापत्ति/सहमति पत्र।

(vii) भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र/पंजीकृत सेल डीड/लीज डीड/किरायेनामे की प्रति।

(viii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत भवन निर्माण की स्वीकृति तथा अनुमोदित मानचित्र।

(ix) आर्कीटेक्ट/मान्यता प्राप्त सिविल इंजीनियर द्वारा सत्यापित भवन निर्माण सम्बन्धी आंगणन तथा लागत प्रमाण पत्र, भवन निर्माण सामग्री का विवरण, भवन निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता/विक्रेता का नाम व पता, बिल व वाउचर संख्या, दिनांक, बिल की धनराशि, भुगतान की गयी धनराशि तथा दिनांक, बैंक स्टेटमेंट की छायाप्रति सहित।

(x) प्लाण्ट एवं मशीनरी के बिल वाउचर, भुगतान की रसीद, भुगतान की बैंक स्टेटमेंट (मद, विक्रेता का नाम व पता, बिल वाउचर संख्या, क्रय करने की तिथि, बिल की धनराशि, भुगतान का माध्यम, भुगतान की तिथि तथा धनराशि के विवरण सहित)।

(xi) रू. 1 लाख से अधिक का उपादान होने पर निर्धारित प्रारूप में चार्टर्ड एकाउन्टेंट का प्रमाण पत्र/चार्टर्ड इंजीनियर का प्रमाण पत्र।

(xii) निर्धारित प्रारूप पर शपथ् पत्र/इकरारनामा।

3. ऐसे मामलों में, जहां आवेदक द्वारा अन्य विभागों की नीतियों के अन्तर्गत आच्छादित उद्यमों के लिए उपादान हेतु आवेदन किया गया है, जिला उद्योग केन्द्र ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों को सम्बन्धित विभाग के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी को अग्रसारित कर दावे पर सम्बन्धित विभाग का अभिमत/अनुशंसा प्राप्त करेगा। एम0एस0एम0ई0 नीति के अन्तर्गत पूंजीगत उपादान सहायता के लिए प्राप्त आवेदन पत्र की महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के स्तर पर स्क्रूटनी की जायेगी तथा यदि स्क्रूटनी में कमियां पायी जाती हैं तो कमियों से इकाई को सूचित करते हुए कमियों का निराकरण किया जायेगा। कमियों का निराकरण होने पर महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र अपनी स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट/आख्या तथा विभागीय नोडल अधिकारी

से प्राप्त अभिमत/अनुशंसा सहित यदि दावा जिला प्राधिकृत समिति के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो जिला प्राधिकृत समिति में विचार/स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करेंगे अथवा यदि दावा राज्य प्राधिकृत समिति द्वारा स्वीकृत किया जाना है, तो अपनी स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट/संस्तुति तथा सम्बन्धित विभाग के अभिमत/अनुशंसा सहित उद्योग निदेशालय को अग्रसारित किया जायेगा। उद्योग निदेशालय निर्धारित प्रक्रिया अनुसार दावे के परीक्षण करते हुए यदि दावे में कमियां पायी गयी हैं, तो उसके निराकरण के लिए इकाई तथा महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को समयान्तर्गत सूचित करते हुए कमियों का निराकरण करायेंगे। परीक्षण पर सही पाये गये दावों को विचार/निर्णय के लिए पूंजीगत उपादान सहायता की स्वीकृति के लिए राज्य स्तर पर गठित राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति के सम्मुख रखा जायेगा।

4. योजनान्तर्गत पूंजी निवेश उपादान हेतु इकाई द्वारा अपना दावा वाणिज्यिक उत्पादन/क्रियाकलाप प्रचलन के प्रारम्भ करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर विहित प्रारूप पर सभी अपेक्षित अभिलेखों/प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। विलम्ब की स्थिति में राज्य/जिला प्राधिकृत समिति गुण-दोष के आधार पर निर्धारित शर्तों में शिथिलता/छूट देने के सम्बन्ध में निर्णय ले सकेगी।

5. जिला उद्योग केन्द्र द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने पर दावे का स्थलीय निरीक्षण करते हुये अनुदान की पात्रता का निर्धारण कर सम्पूर्ण प्रकरण स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट के साथ तीन माह के भीतर जिला स्तरीय प्राधिकृत समिति/राज्य स्तरीय समिति, जैसी भी स्थिति हो, के सम्मुख विचार/निर्णय के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे।

11. उपादान सहायता की स्वीकृति/संवितरण हेतु प्रक्रिया

1. प्रत्येक मामले के सम्बन्ध में उपादान सहायता की स्वीकृति और उसकी मात्रा के बारे में अर्हता पर निर्णय लेने के लिये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्रियान्वयन आदेश–2015 में अनुदान सुविधाओं/रियायतों की स्वीकृति के लिये राज्य/जिला स्तर पर गठित राज्य/जिला स्तरीय समिति उत्तरदायी होगी।

2. नये स्थापित उद्यम को स्वीकृत उपादान सहायता विनिर्दिष्ट की गई संवितरण एजेन्सी/विभाग द्वारा उद्यम के व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् जिला उद्योग केन्द्र की संस्तुति पर वितरित की जायेगी।

3. पूंजी निवेश प्रोत्साहन सहायता बजट उपलब्धता के आधार पर संवितरित की जायेगी। उपादान संवितरण से पूर्व राज्य सरकार की ओर से महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा स्थापित नये तथा विस्तारीकरण के विद्यमान उद्यम के बीच एक अनुबन्ध/करार किया जायेगा, जिसमें उपादान सहायता की राशि तक की परिसम्पत्तियों, यथा: कार्यशाला भवन, प्लाण्ट व मशीनरी इत्यादि के गिरवी/बन्धक रखना शामिल हो। राज्य सरकार तथा उद्यम के बीच अनुबन्ध/करार हेतु शपथ–पत्र, करार/अनुबन्ध पत्र (Indemnity Bond /Agreement) का अनुमोदित प्रारूप **अनुलग्नक–1** में सामान्य प्रचालनात्मक निर्देशों के साथ दिया गया है।

12. संवितरण एजेन्सी के अधिकार तथा उपादान प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाई का दायित्व

1. यदि राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट है कि किसी उद्यम ने उपादान हेतु किसी आवश्यक तथ्य के बारे में मिथ्या कथन, मिथ्या जानकारी प्रस्तुत की है अथवा वह उद्यम प्रारम्भ होने से 05 वर्ष के अन्दर उत्पादन बन्द कर देता है, तो राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह उद्यम को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपादान सहायता वापस प्राप्त करने पर विचार कर सकता है।

2. आयुक्त एवं महानिदेशक उद्योग/निदेशक उद्योग के पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना उद्यम के किसी भी स्वामी को उपादान सहायता प्राप्त करने के पश्चात् उस सम्पूर्ण उद्यम या उसके किसी भाग के स्थापना स्थल को बदलने के लिये या उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् 05 वर्ष की अवधि के अन्दर अपने कुल निर्धारित पूंजी निवेश में संक्षेपन अथवा इसके पर्याप्त भाग का निपटान करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

3. जिन उद्यमों ने रू. 01 लाख से अधिक का उपादान प्राप्त किया है, उन्हें उपादान प्राप्त होने के वर्ष से 05 वर्ष तक अंकेक्षित लेखे व उत्पादन/विक्रय विवरण प्रस्तुत करने होंगे। रू. 1.00 लाख

(रू. एक लाख मात्र) से कम उपादान प्राप्त करने वाले उद्यम को उत्पादन व विक्रय की जानकारी देनी होगी। उक्त विवरण प्राप्त करने का दायित्व सम्बन्धित जनपद के महाप्रबन्धक/प्रभारी महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र का होगा।

4. उद्यम को व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् न्यूनतम 05 वर्ष तक अपना उद्यम चालू रखना होगा। प्राकृतिक आपदाओं के कारण उद्यम का 6 माह की अवधि तक बन्द रखा जाना उद्योग बन्द की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। नियंत्रण से परे कारणों पर महानिदेशक/आयुक्त उद्योग अथवा निदेशक उद्योग का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
नोटः– अपेक्षित बिन्दुओं पर सम्बन्धित उद्यमों से सूचनायें एकत्र करने तथा संकलित कर निदेशक, उद्योग को प्रेषित करने का दायित्व सम्बन्धित जनपद के महाप्रबन्धक/प्रभारी महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र का होगा।

13. अन्य

1. प्रस्तर–10 (1 से 4) का अनुपालन न होने पर उपादान सहायता की वसूली एक मुश्त तथा भू–राजस्व वसूली के सादृश्य 18 प्रतिशत ब्याज सहित की जा सकेगी।

2. योजना के किसी बिन्दु पर विवाद होने पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

3. योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश तथा किसी भी बिन्दु पर स्पष्टीकरण जारी करने के लिये महानिदेशक/आयुक्त उद्योग अथवा निदेशक उद्योग, उत्तराखण्ड सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव।

निवेश प्रोत्साहन सहायता योजना के तहत औद्योगिक इकाईयों के पंजीकरण के लिए सामान्य प्रचालनात्मक दिशा–निर्देश तथा राज सहायता दावों के निपटान की प्रक्रिया:

(i) इस योजना के तहत राज सहायता के लिए दावा करने के इच्छुक उद्यमी नई इकाई की स्थापना हेतु जिला उद्योग केन्द्र में ई.एम. पार्ट–1 दाखिल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त योजनान्तर्गत पंजीकरण (फार्म संख्या: 1) में आवेदन किया हो **अथवा विद्यमान इकाई के विस्तारीकरण से पूर्व सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र में www.investuttarakhand.com वेबसाइट पर ऑनलाइन Common Application Form पर आवेदन करते समय एम0एस0एम0ई0 नीति के अन्तर्गत प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिए भी CAF में निर्दिष्ट कॉलम पर प्री–रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करेगा।**

(ii) यह सुनिश्चित किया जाय कि एम0एस0एम0ई0 नीति के अन्तर्गत चिन्हित उद्यमों को ही वित्तीय प्रोत्साहन सहायता के लिए पंजीकृत किया जाय।

(iii) योजना अन्तर्गत राज सहायता के लिए इकाई द्वारा अपना दावा, वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर निर्धारित आवेदन प्रपत्र पर (जांच सूची फार्म संख्या: 4 अपेक्षित दस्तावेज सहित सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत किया जाना है। दावा आवेदन के साथ 'विचलन विवरण' भी प्रस्तुत किया जाएगा।

(iv) बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा वित्त पोषित इकाईयों के मामले में सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्था की बैंक एप्रेजल/मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी आवश्यक होगी अथवा स्व–वित्त पोषित इकाईयों के मामलों में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा योजनान्तर्गत पंजीकरण के समय दी गई एप्रेजल/मूल्यांकन रिपोर्ट दी जानी होगी।

(v) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्रियान्वयन आदेश–2015 (यथासंशोधित–2020) में दिये गये आधार पर ही वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन की तिथि निर्धारित की जाय।

(vi) जिला उद्योग केन्द्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज सहायता के लिए दावा निर्धारित आवेदन प्रपत्र पर सभी प्रकार से पूर्ण हों तथा इनके साथ फार्म 1सी (i) के रूप में संलग्न जांच सूची के अनुसार सभी अपेक्षित दस्तावेज/अभिलेख प्रस्तुत किये गये हों। अपेक्षित दस्तावेज के बिना अधूरे आवेदन पत्रों पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

(vii) यदि दावा न्यायाधीन (Subjudice) है, तो इस योजना के अन्तर्गत निवेश प्रोत्साहन सहायता पर विचार नहीं किया जायेगा।

(viii) संयंत्र तथा मशीनरी/परियोजना की लागत के सम्बन्ध में सभी लेन–देन, जैसा भी मामला हो, "आदाता खाता (एकाउंट पेयी) चैक" अथवा "डिमांड ड्राफ्ट" के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। प्लांट व मशीनरी/भवन निर्माण पर हुए व्यय के बिलों का एक दिन में रू. 20,000 से अधिक के नकद भुगतान को उपादान हेतु गणना में नहीं लिया जाएगा। उपादान हेतु गणना में लिये गये कुल पूंजी निवेश के सापेक्ष अधिकतम 5 प्रतिशत नकद भुगतान ही उपादान हेतु अर्ह (eligible) होगा।

(ix) पूंजीगत निवेश से सम्बन्धित समस्त व्यय को पंजीकृत चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

(x) इस योजना के अन्तर्गत राज सहायता की पात्रता तथा मात्रा का निर्धारण करने के लिए भूमि की लागत को गणना में नहीं लिया जायेगा।

(xi) पुराने पूंजीगत माल/प्लांट व मशीनरी में किये गये पूंजी निवेश पर योजना के तहत राज सहायता नहीं दी जाएगी। आवेदक को यह प्रमाणित करना होगा कि पुराने प्लांट व मशीनरी/अचल परिसम्पत्तियों पर कोई दावा नहीं किया गया है।

(xii) जांच सूची के अनुसार अपेक्षित सभी दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर इकाई के अधिकृत हस्ताक्षरी के दिनांक सहित हस्ताक्षर तथा मोहर लगी होनी चाहिए।

(xiii) जिला उद्योग केन्द्र के प्राधिकृत अधिकारी को प्रत्येक इकाई का स्थलीय निरीक्षण करना आवश्यक होगा तथा औद्योगिक इकाई के मौजूद होने एवं इसके प्रचालन और नई इकाई की स्थापना/विद्यमान इकाई के विस्तारीकरण के सम्बन्ध में वास्तविक रूप से पुष्टि करनी होगी और इस सम्बन्ध में निर्धारित फार्म पर रिपोर्ट तथा इकाई द्वारा प्रस्तुत विचलन रिपोर्ट पर टिप्पणियां प्रस्तुत करनी होगी।

(xiv) जिला उद्योग केन्द्र/उद्योग निदेशालय को सुनश्चित करना होगा कि अनुमन्य दावों के प्राप्त होने की तारीख से 90 (नब्बे) दिनों के भीतर सभी दावों को क्रमशः जिला स्तरीय/राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। अपरिहार्य परिस्थितियों में विलम्ब होने पर जिला उद्योग केन्द्र/उद्योग निदेशालय के सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा इसके कारण लिखित में दिये जाने होंगे।

(xv) बैंक द्वारा वित्त पोषित इकाईयों के मामले में, बैंक परियोजना के लिए संयंत्र एवं मशीनरी के मूल्य को प्रमाणित करेंगे। स्व–वित्त पोषित इकाईयों के मामले में जिला उद्योग केन्द्र के अधिकृत अधिकारी संयंत्र एवं मशीनरी के बिलों तथा स्थलीय निरक्षण के आधार पर इकाई में किये गये अचल पूंजी निवेश की सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

(xvi) इन योजनाओं के तहत दावों के समयबद्ध निस्तारण हेतु राज्य स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन प्रत्येक चार मॉह में कम से कम एक बार तथा जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन दो महीने में कम से कम एक बार अवश्य आयोजित की जाय।

(xvii) महिला उद्यमियों द्वारा चलाई जा रही इकाईयों के दावों के सम्बन्ध में प्राथमिकता सूची रखी जानी होगी। ऐसी इकाई के दावे पर तेजी से कार्रवाई की जानी चाहिए तथा उद्योग निदेशालय को मासिक आधार पर उनकी प्रगति की निगरानी करनी चाहिए।

(xviii) राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय समिति की बैठक की तारीख से कम से कम पन्द्रह कार्य दिवस पहले इसकी बैठक की सूचना विस्तृत कार्यसूची टिप्पणी के साथ, सभी सम्बन्धित प्रतिभागियों/समिति के सदस्यों को भेज दी जानी चाहिए। बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित इकाईयों के मामले में इन संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाना आवश्यक है।

(xix) इस योजना के अन्तर्गत किसी दावे की सिफारिश/अनुमोदन करते समय राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय समिति निम्नलिखित पर विचार करेगी:–

- जिला उद्योग केन्द्र की वास्तविक सत्यापन रिपोर्ट।
- औद्योगिक इकाई के मौजूद होने के सबूत से सम्बन्धित दस्तावेज।
- इकाई के उत्पादन आंकड़े।
- औद्योगिक इकाई की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)/ तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर)।
- क्या इन संयंत्र एवं मशीनरी की अधिप्राप्ति/अर्जन हेतु भुगतान आदाता खाता (एकाउंट पेयी) चैक/ड्राफ्ट/एनईएफटी/आरटीजीएस के जरिए किया गया है।
- उस बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) की मूल्यांकन रिपोर्ट जिसने औद्योगिक इकाई की परियोजना में वित्तीय सहायता दी है।
- इकाई के दावा आवेदन सहित उनके द्वारा प्रस्तुत 'विचलन रिपोर्ट'।

- संयंत्र एवं मशीनरी के पात्र संघटकों के सम्बन्ध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये स्पष्टीकरण/दिशा–निर्देश।
- उपर्युक्त के अलावा, समिति ऐसे अन्य दस्तावेजों/रिपोर्टों की भी अपेक्षा कर सकती है, जो उनके विचार से औद्योगिक इकाईयों द्वारा किए गए दावों की वास्तविकता को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य हों।

(xx) किसी विशेष दावे के सम्बन्ध में सिफारिश/अनुमोदन/अस्वीकृति हेतु विस्तृत विचार–विमर्श तथा औचित्य या सम्बन्धित राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय समिति की बैठक के कार्यवृत्त में विधिवत् रिकार्ड किया जाएगा। औद्योगिक इकाई की परियोजना में सहायता करने वाली बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) की मूल्यांकन रिपोर्ट में विचार की गई संयंत्र एवं मशीनरी की मदों की सूची तथा तकनीकी दल की मूल्यांकन रिपोर्ट में किसी विचलन का समिति द्वारा समुचित स्पष्टीकरण/औचित्य दिया जाएगा।

(xxi) राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय समिति को प्रस्तुत सिफारिश में यह प्रमाणित करना चाहिए कि दावा योजना के दिशा–निर्देशों के अनुरूप है, जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी के पात्र संघटक शामिल हैं।

(xxii) इकाई का यह दायित्व होगा कि वह वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू करने के बाद निर्धारित प्रपत्र में पांच वर्ष की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट (एपीआर) जिला उद्योग केन्द्र तथा उद्योग निदेशालय को भेजे।

(xxiii) किसी औद्योगिक इकाई को देय राज सहायता की मात्रा की गणना योजनाओं में यथा निर्धारित पात्र संघटकों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों/स्पष्टीकरणों के अनुसार की जायेगी। इस सम्बन्ध में कोई भी शंका होने पर मामला स्पष्टीकरण हेतु शासन के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विभाग को भेजा जा सकेगा। इस सम्बन्ध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

(xxiv) पात्र इकाईयों को स्वीकृत राज सहायता का संवितरण बजट उपलब्धता के आधार पर संवितरण अधिकारी द्वारा पात्र इकाई के विनिर्दिष्ट खाते में इलैक्ट्रॉनिक अंतरण के जरिए आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से किया जायेगा।

(xxv) जिला उद्योग केन्द्र स्थापित इकाईयों, उनके द्वारा किए गए निवेश और सृजित रोजगार के सम्बन्ध में निदेशालय को तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(xxvi) राज्य सरकार योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए तथा उपयुक्त उपचारात्मक उपाय शुरू करने के लिए छमाही समीक्षा भी कर करेगी।

(xxvii) इसके अलावा शासन के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सम्बन्धित कार्यालय ज्ञापों/अधिसूचनाओं/आदेशों में उल्लिखित प्रावधानों का कड़ाई अनुपालन किया जायेगा।

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम ब्याज प्रोत्साहन सहायता योजना

1. संक्षिप्त नाम	यह योजना 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम ब्याज उपादान प्रोत्साहन सहायता योजना कहलायेगी।
2. योजना का प्रारम्भ और अवधि	यह योजना दिनांक 31 जनवरी, 2015, जैसा कि कार्यालय ज्ञाप दिनांक 31 जनवरी, 2015 तथा दिनांक 08 मार्च, 2019 में जैसा कि विहित किया गया है, से लागू होकर दिनांक 31 मार्च, 2023 तक लागू रहेगी। इस योजनान्तर्गत दिनांक 31 मार्च, 2020 से पूर्व स्थापित होकर उत्पादन में आने वाले चिन्हित नये तथा पर्याप्त विस्तारीकरण के विनिर्माणक तथा सेवा क्षेत्र के उद्यमों को उत्पादन प्रारम्भ करने /सेवा प्रदान करने की तिथि से 31 मार्च, 2025 अथवा मूल नीति में दी गयी अवधि तक, जो भी पहले घटित हो, नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहन का लाभ अनुमन्य होगा, किन्तु दिनांक 31 मार्च, 2020 के पश्चात योजना की वैधता अवधि में उत्पादन प्रारम्भ करने वाले सभी उद्यमों को उत्पादन/वाणिज्यिक गतिविधि प्रारम्भ करने के दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहन सुविधा का लाभ अनुमन्य होगा।
3. योजना का क्षेत्र	1. यह योजना उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–184/ सात–2–15/146–एमएसएमई/2013, दिनांक 31 जनवरी, 2015, कार्यालय ज्ञाप संख्या 544/VII-2-16/146–एम0एस0एम0ई0/2013 दिनांक 22 मार्च, 2016, कार्यालय ज्ञाप संख्या 1313/VII-2-18/146–एम0एस0एम0ई0/2013 दिनांक 06 जुलाई, 2018, कार्यालय ज्ञाप संख्या 2211/ VII-2-18/146–एम0एस0एम0ई0/2013 टी0सी0 3 दिनांक 30 नवम्बर, 2018 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या 527/VII-3-19/146–एम0एस0एम0ई0/2013 दिनांक 08 मार्च, 2019 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 के अन्तर्गत वर्गीकृत श्रेणी–ए, बी, बी+ सी व डी के जनपदों/क्षेत्रों में लागू होगी। 2. यह योजना उत्तराखण्ड शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2511/VII-3-19/146–एम0एस0एम0ई0 /2016 दिनांक 10 दिसम्बर, 2019 में उल्लिखित निर्दिष्ट सिडकुल/उद्योग विभाग द्वारा विकसित अरोमा पार्क में स्थापित होने वाले चिन्हित नये

विनिर्माणक/सेवा अरोमा क्रियाकलापों/गतिविधियों के लिए लागू होगी।

4. परिभाषा

1. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माणक तथा सेवा क्षेत्र के उद्यम की परिभाषायें वही होंगी, जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 में परिभाषित की गई हैं।

2. सावधि ऋण (Term Loan) से तात्पर्य ऐसे वैध ऋण से है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्त पोषण हेतु अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्था, राज्य सरकार के सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वित्तीय संस्था से भवन तथा प्लाण्ट व मशीनरी के क्रय हेतु लिया गया हो।

3. कार्यशील पूंजी से तात्पर्य ऐसे वैध ऋण/साख सुविधा से है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्त पोषण हेतु अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्था, राज्य सरकार के सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वित्तीय संस्था से कार्यशील पूंजी के रूप में स्वीकृत व वितरित किया गया हो। बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा स्वीकृत परियोजना में वित्तीय स्रोतों के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज प्रोत्साहन सहायता अनुमन्य नहीं होगी।

4. वाणिज्यिक बैंक/वित्तीय संस्थाओं से आशय, ऐसे वित्त पोषक बैंक/वित्तीय संस्था से है, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्त पोषण के लिए अपनी अनुसूची में सम्मिलित किया गया हो।

5. पात्रता

1. श्रेणी– ए, बी, बी+, सी व डी के जनपदों/क्षेत्रों में नये तथा पर्याप्त विस्तारीकरण के विनिर्माणक तथा सेवा क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को उनके द्वारा नये उद्यम की स्थापना अथवा विद्यमान उद्यम के पर्याप्त विस्तारीकरण के लिए प्राप्त किये गये सावधि ऋण पर ही अनुमोदित बैंक/वित्त पोषक संस्था द्वारा स्वीकृत/वितरित ऋण पर देय ब्याज के विरूद्ध ब्याज प्रोत्साहन सहायता की पात्रता होगी।

2. ऐसे उद्यम द्वारा राज्य के सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र से उद्यमी ज्ञापन (भाग–1 व भाग–2) की अभिस्वीकृति प्राप्त की गई हो अथवा नये उद्यम की स्थापना/विद्यमान उद्यम के विस्तार के लिए **www.investuttarakhand.com** वेबसाइट पर ऑनलाइन **CAF** फाइल कर उसकी राज्य/जिला प्राधिकृत समिति से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त की गयी हो और उद्यम के उत्पादन प्रारम्भ करने के बाद 'उद्योग आधार' प्राप्त किया गया हो।

3. ऐसे उद्यम द्वारा राज्य के सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र से इस योजना के अन्तर्गत उपादान सहायता हेतु प्री–रजिस्ट्रेशन अथवा ई0एम0 पार्ट–1 या एकल खिड़की व्यवस्थान्तर्गत उद्यम स्थापना हेतु राज्य/जिला प्राधिकृति समिति से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त की गयी हो।

4. उद्यम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित/अधिकृत वित्त पोषक बैंक/वित्तीय संस्था अथवा सहकारी क्षेत्र के बैंक या वित्तीय संस्था से वित्त पोषित हों।

स्पष्टीकरण:

i ऐसे उद्यम, जो भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा शासकीय संस्थाओं की अन्य स्वरोजगार योजनाओं के अन्तर्गत वित्त पोषित हैं तथा जिन्हें पूर्व से ही ब्याज की रियायती दर लगती हो, इस सहायता की पात्र नहीं होंगी।

ii भारत सरकार/राज्य सरकार या राज्य सरकार के उपक्रम/संस्थाओं द्वारा स्थापित उद्यमों को प्रोत्साहन सहायता उपलब्ध नहीं होगी।

iii उद्यमी द्वारा नये उद्यम की स्थापना अथवा विद्यमान उद्यम के विस्तारीकरण के पश्चात पुनः उद्यम के लिए लिये गये सावधि ऋण में ब्याज प्रोत्साहन सहायता अनुमन्य नही होगी।

iv ऐसे उद्यम, जिन्हें दिनांक 31 जनवरी, 2015 से पूर्व वित्त पोषक बैंक/संस्था द्वारा स्वीकृत सावधि ऋण की प्रथम किश्त संवितरित की गई हो, इस सुविधा की पात्र नहीं होंगे।

6. उपादान सहायता की सीमा एवं मात्रा

1. ब्याज उपादान की मात्रा व सीमा श्रेणी–ए के जनपदों/क्षेत्रों के उद्यमियों हेतु 10 प्रतिशत अधिकतम रू. 8.00 लाख (रू. आठ लाख मात्र) प्रति इकाई प्रति वर्ष होगी।

2. ब्याज उपादान की मात्रा व सीमा श्रेणी–बी तथा बी+ के जनपदों/क्षेत्रों के उद्यमियों हेतु 8 प्रतिशत अधिकतम रू. 6.00 लाख (रू. छः लाख मात्र) प्रति इकाई प्रति वर्ष होगी।

3. श्रेणी–सी के जनपदों/क्षेत्रों में 6 प्रतिशत, अधिकतम रू. 4 लाख प्रतिवर्ष/प्रति इकाई होगी।

4. श्रेणी–डी के जनपदों/क्षेत्रों में 5 प्रतिशत, अधिकतम रू. 3 लाख प्रतिवर्ष/प्रति इकाई होगी।

5. सिडकुल/उद्योग विभाग द्वारा श्रेणी– बी, बी+, सी व डी में विकसित निर्दिष्ट अरोमा पार्क में स्थापित होने वाले नये चिन्हित अरोमा उद्योगों को उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से 5 वर्ष तक बैक/वित्तीय संस्थान से लिये गये सावधि ऋण पर देय ब्याज का 10 प्रतिशत, अधिकतम रू. 8 लाख प्रतिवर्ष।

6. ब्याज उपादान की अवधि की गणना परियोजना हेतु स्वीकृत सावधि ऋण स्वीकृति की प्रथम किश्त संवितरण के दिनांक से अनुमन्य अवधि तक की जायेंगी।

7. ब्याज उपादान सहायता केवल सामान्य ब्याज दर के सापेक्ष देय होगी। विलम्ब शुल्क, शास्ति या अन्य पर कोई ब्याज उपादान देय नहीं होगा।

7. ब्याज प्रोत्साहन सहायता हेतु दावा प्रस्तुत करने एवं स्वीकृति की प्रक्रिया

1. पात्र उद्यमों द्वारा इस हेतु निर्धारित आवेदन पत्र में निम्नलिखित अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के साथ सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र में आवेदन करना होगा।
   (i) जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी उद्यमी ज्ञापन भाग–1 की अभिस्वीकृति की प्रति या योजनान्तर्गत प्री–रजिस्ट्रेशन की प्रति अथवा CAF की सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति, जैसी भी स्थिति हो।
   (ii) जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी उद्यमी ज्ञापन भाग–2

की अभिस्वीकृति की प्रति अथवा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी उद्योग आधार की प्रति।

(iii) जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी व्यावसायिक उत्पादन प्रमाण पत्र।

(iv) वित्त पोषक बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा उद्यम हेतु स्वीकृत सावधि ऋण (term loan) का स्वीकृति पत्र तथा प्रथम किश्त संवितरण प्रमाण पत्र।

(v) निर्धारित प्रारूप में विवरण, जिसमें नये उद्यम द्वारा लिये गये ऋण के भुगतान की किश्त, उद्यम पर अधिरोपित ब्याज, उद्यम द्वारा भुगतान किये गये मूलधन व ब्याज, ब्याज की दर, ब्याज उपादान की दर तथा उपादान राशि से सम्बन्धित गणना विवरण पत्र, जो सम्बन्धित बैंक/ वित्तीय संस्था के शाखा प्रबन्धक या अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो।

(vii) वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र कि सम्बन्धित त्रैमास में ऋण का भुगतान नियमित रूप से किया गया है तथा ऋणी इकाई किसी भी रूप में डिफाल्टर नहीं है।

(viii) ब्याज उपादान सम्बन्धी दावा वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा ऋण वितरण के प्रथम दिनांक से त्रैमासिक आधार पर सम्बन्धित जिले के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन में आने तथा उद्योग आधार की अभिस्वीकृति जारी होने के पश्चात् प्रस्तुत किया जायेगा।

(ix) महाप्रबन्धक/प्रभारी महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र दावे का परीक्षण कर ब्याज उपादान प्रोत्साहन योजना के प्राविधानों के अनुसार परीक्षणोपरान्त दावा स्वीकृति हेतु जिला उद्योग मित्र की प्राधिकृत समिति के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे तथा प्राधिकृत समिति से स्वीकृति मिलने पर महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा।

(x) जिला उद्योग मित्र की प्राधिकृत समिति की बैठक का कार्यवृत्त स्वीकृत धनराशि की मॉग हेतु निदेशक

उद्योग (एम.एस.एम.ई.) को भेजा जायेगा। निदेशक उद्योग बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत धनराशि के संवितरण के लिये जिला उद्योग केन्द्र को धनराशि का आवंटन करेंगे। जिला उद्योग केन्द्र द्वारा सम्बन्धित वित्तीय संस्था/बैंक को उपादान की राशि ऋणी विशेष के खाते में जमा करने हेतु प्रेषित की जायेगी, जो उसी ऋणी के खाते में सम्बन्धित वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा तुरन्त जमा की जायेगी। ब्याज उपादान की राशि नकद में नहीं दी जायेगी।

(xi) ब्याज उपादान का प्रथम दावा नये उद्यम विस्तारीकरण के वाणिज्यिक उत्पादन/व्यवसाय प्रारम्भ होने के दिनांक से 6 माँह के भीतर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। आगामी किसी भी त्रैमास का दावा अगले एक त्रैमास के अन्दर जिला उद्योग केन्द्र में दिया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा दावे को स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपरिहार्य कारणों से हुये विलम्ब को जिला प्राधिकृत समिति/जिला उद्योग मित्र द्वारा गुणदोष के आधार पर माफ किया जा सकेगा।

8. ब्याज उपादान की वसूली

1. ब्याज उपादान की राशि इकाई के खाते में जमा हो जाने के पश्चात् यदि यह पाया जाता है कि इकाई द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये हैं या तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है एवं इस प्रकार गलत तरीके से उपादान प्राप्त किया गया है, तो ब्याज उपादान की राशि की एकमुश्त वसूली 18 प्रतिशत ब्याज के साथ की जायेगी। यह वसूली सम्बन्धित इकाई से भू–राजस्व वसूली के सादृश्य की जा सकेगी।

2. ब्याज उपादान की राशि केवल उन्हीं उद्यमों को प्राप्त होगी, जो उपादान मिलने की तिथि के बाद कम से कम 5 वर्ष तक कार्यरत रहेंगी, अन्यथा शासन को अधिकार होगा कि दी गई सहायता की समस्त धनराशि इकाई से वसूल कर लें।

9. अन्य

1. योजना के अन्तर्गत नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की स्थिति में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन का निर्णय अन्तिम एवं इकाई के लिये बाध्यकारी होगा।

2. योजना के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश अथवा स्पष्टीकरण जारी करने हेतु महानिदेशक/आयुक्त उद्योग अथवा निदेशक उद्योग सक्षम प्राधिकारी होंगे।

3. ब्याज उपादान से सम्बन्धित सभी अभिलेखों, प्रपत्रों इत्यादि के रख-रखाव एवं आडिट आदि का उत्तरदायित्व महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र का होगा।

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव।

सूक्ष्म, लघु एव मध्यम उद्यम को विद्युत बिलों की प्रतिपूर्ति योजना

1. संक्षिप्त नाम	यह योजना 'सूक्ष्म, लघु एव मध्यम उद्यम विद्युत बिल प्रतिपूर्ति योजना कहलायेगी।
2. योजना का प्रारम्भ तथा पात्रता अवधि	यह योजना दिनांक 31 जनवरी, 2015, जैसा कि कार्यालय ज्ञाप दिनांक 31 जनवरी, 2015 तथा दिनांक 08 मार्च, 2019 में जैसा कि विहित किया गया है, से लागू होकर दिनांक 31 मार्च, 2023 तक लागू रहेगी। इस योजनान्तर्गत दिनांक 31 मार्च, 2020 से पूर्व स्थापित होकर उत्पादन में आने वाले चिन्हित नये तथा पर्याप्त विस्तारीकरण के विनिर्माणक तथा सेवा क्षेत्र के उद्यमों को उत्पादन प्रारम्भ करने /सेवा प्रदान करने की तिथि से 31 मार्च, 2025 अथवा मूल नीति में दी गयी अवधि तक, जो भी पहले घटित हो, नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहन का लाभ अनुमन्य होगा, किन्तु दिनांक 31 मार्च, 2020 के पश्चात योजना की वैधता अवधि में उत्पादन प्रारम्भ करने वाले सभी उद्यमों को उत्पादन/वाणिज्यिक गतिविधि प्रारम्भ करने के दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहन सुविधा का लाभ अनुमन्य होगा।
3. योजना का क्षेत्र	यह योजना उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–184/सात–2–15/146एमएसएमई/2013, दिनांक 31 जनवरी, 2015 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या 544/VII-2-16/146–एम0एस0एम0ई0/2013 दिनांक 22 मार्च, 2016 के द्वारा घोषित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 के अन्तर्गत वर्गीकृत श्रेणी–ए, बी व बी+ में वर्गीकृत के जनपदों/क्षेत्रों में केवल विनिर्माणक (Manufacturing) उद्योगों के लिए लागू होगी।
4. परिभाषा	1. नये अभिज्ञात अर्ह विनिर्माणक तथा सेवा क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम से आशय ऐसे उद्यम से अभिप्रेत है, जिसे सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 के अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम विनिर्माणक तथा सेवा उद्यम के रूप में परिभाषित किया गया हो तथा जिसकी स्थापना के लिए सम्बन्धित जनपद के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र में उद्यमी ज्ञापन भाग–1 व 2 (EM Part-I & II) फाइल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की गयी हो या एकल खिड़की व्यवस्था के अन्तर्गत CAF फाइल कर जिला प्राधिकृत समिति से सैद्धान्तिक

स्वीकृति प्राप्त की गयी हो और उद्यम स्थापना के पश्चात https://udyogaadhaar.gov.in/UA/UAM_Registration.aspx पर उद्योग **'आधार ज्ञापन'** फाइल कर **'उद्योग आधार'** प्राप्त किया गया हो।

2. विनिर्माणक/उत्पादक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम का आशय ऐसे उद्यम से अभिप्रेत है, जो उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग से सम्बन्धित माल के विनिर्माण या उत्पादन में लगे हुए या अंतिम उत्पाद, जो एक सुभिन्न नाम या लक्षण या उपयोग रखता हो, के मूल्य वर्धन की प्रक्रिया में लगे हुए हों:–

   (क) एक **सूक्ष्म उद्यम**, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पच्चीस लाख रूपये से अधिक न हो।

   (ख) एक **लघु उद्यम**, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पच्चीस लाख रूपए से अधिक हो किन्तु पांच करोड़ से अधिक न हो, या

   (ग) एक **मध्यम उद्यम**, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पांच करोड़ रूपए से अधिक हो परन्तु दस करोड़ रूपए से अधिक न हो।

3. सेवा प्रदाता सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से तात्पर्य ऐसे उद्यम से है, जिसे सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनिमय–2006 में परिभाषित किया गया हो तथा जिसके सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचनायें जारी की गई हों:–

   (क) एक ऐसे **सूक्ष्म उद्यम** के रूप में जहां उपकरण में विनिधान दस लाख रूपये से अधिक न हो,

   (ख) एक ऐसे **लघु उद्यम** के रूप में जहां उपकरण में विनिधान दस लाख रूपए से अधिक हो किन्तु दो करोड़ रूपये से अधिक न हो, या

   (ग) एक ऐसे **मध्यम उद्यम** के रूप में जहां उपकरण में

विनिधान दो करोड़ रूपये से अधिक हो किन्तु पांच करोड़ से अधिक न हो।

4. विद्युत दर से तात्पर्य प्रति इकाई विद्युत उपभोग मूल्य से है, जिसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा आरोपित विद्युत उपभोग कर/उपकर/उच्च भार कर/विलम्ब शुल्क/शीतकालीन व ईधन समायोजन कर आदि सम्मिलित नहीं होंगे, परन्तु विद्युत बिल में आरोपित फिक्सड चार्ज (Fixed Charge) को उपादान हेतु गणना में सम्मिलित होगा।

5. विद्युत प्रतिपूर्ति सहायता हेतु पात्र गतिविधियां एवं प्रतिपूर्ति सहायता मात्रा/सीमा

1. विनिर्माणक एवं सेवा क्षेत्र के अधिक विद्युत खपत करने वाले निम्न उद्यमों को छोड़कर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति नियमावली–2015 में चिन्हित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, जिनकी कुल विद्युत आवश्यकता पात्रता की सीमा के अन्तर्गत हो, विद्युत प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होंगे:–

(i)	Synthetic Fibre, Man Made Fibre, Rayon	(ii)	Tyres and Tubes of Rubber Manufacturing
(iii)	Synthetic Rubber	(iv)	Chemicals
(v)	Paper, Straw Board, Pulp, Card Board	(vi)	Glass Manufacturing
(vii)	Acetylene and Oxygen	(viii)	Solvent Extraction Plant
(ix)	Galvanising, heat treatment, induction heating running on continuous basis	(x)	Alumunium refining and manufacturing
(xi)	Camphor	(xii)	Cement
(xiii)	Sulpuric Acid with contact process	(xiv)	Caustic Soda
(xv)	Oxygen for medical purpose	(xvi)	Distilleries and Brewaries
(xvii)	Vanaspati invlolving Hydrogenation process(not applicable to refined oils)	(xviii)	Drug Manufacturing Industries having fermentation processess.
(xix)	Chemical Fertilizers	(xx)	Rubber emulsifier
(xxi)	Sugar & its byproducts	(xxii)	Computer hardware

(xxiii) Eco tourism units such as hotels, motels, reorts, guest house, spa, entertainment/ amusement park & rope ways.

(xxiv) Industrial gases (based on atmospheric fraction).

(xxv) Steel roling mills.

(xxvi) Electric furnace.

2. विद्युत बिलों की प्रतिपूर्ति सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 में वर्गीकृत श्रेणी– 'ए' एवं श्रेणी– 'बी' व 'बी+' के जनपदों/क्षेत्रों में पात्र गतिविधियों हेतु, निम्नानुसार अनुमन्य होगी:–

संयोजित विद्युत भार	प्रतिपूर्ति की मात्रा/सीमा	
	श्रेणी– ए	श्रेणी– बी तथा बी+
100 केवीए	प्रथम 05 वर्ष के लिए शत प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 75 प्रतिशत	प्रथम 05 वर्ष के लिए शत प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 60 प्रतिशत
100 केवीए से ऊपर	60 प्रतिशत	50 प्रतिशत

3. सभी अनुमन्य विनिर्माणक उद्यमों में उत्पादन प्रक्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र सम्बन्धी उद्यमों में सेवा इकाई में खपत होने वाले विद्युत के बिलों के भुगतान पर ही प्रतिपूर्ति सहायता अनुमन्य होगी। कार्यालय में खपत होने वाले विद्युत तथा विनिर्माणक एवं सेवा उद्यमों के आवासीय अथवा अन्य गैर उत्पादक क्रियाकलापों यथा: विज्ञापन, प्रर्दशन आदि पर उपयोग की गई विद्युत के मूल्य में प्रतिपूर्ति सहायता अनुमन्य नहीं होगी।

4. कुल संयोजित विद्युतभार में से उत्पादन प्रक्षेत्र/सेवा कार्य हेतु पृथक से तथा कार्यालय व आवासीय एवं अन्य गैर अनुत्पादक क्रियाकलापों पर उपभोग विद्युत का आंकलन ऊर्जा निगम के द्वारा विद्युत संयोजन देते समय सुनिश्चित कर तद्विषयक प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा तथा जिसके आधार पर ही प्रतिपूर्ति दावे स्वीकृत किये जायेंगे।

5. पात्र उद्यम को विद्युत बिल उपादान हेतु उसके द्वारा व्यावसायिक उत्पादन/सेवा पर किये गये विद्युत उपभोग मूल्य को गणना में लिया जायेगा, जिसमें फिक्सड चार्ज सम्मिलित होगा, परन्तु विद्युत उपभोग कर/उपकर/उच्च भार छूट कर/विलम्ब शुल्क/शीतकालीन व ईंधन समायोजन कर आदि सम्मिलित नही होंगे।

6. **विद्युत प्रतिपूर्ति सहायता के संवितरण हेतु विनिर्दिष्ट एजेन्सी**

विद्युत प्रतिपूर्ति सहायता के संवितरण हेतु राज्य का उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करेगा तथा शासन से इस रूप में प्राप्त बजट का आवंटन/संवितरण प्राप्त प्रतिपूर्ति दावों की अर्हता पर निर्णय लेने के लिये गठित राज्य/जिला स्तरीय प्राधिकृत समिति के अनुमोदनोपरान्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से सम्बन्धित इकाई को किया जायेगा। प्रति इकाई रू. 10 लाख या इससे कम के प्रतिपूर्ति दावे की स्वीकृति जिला प्राधिकृत समिति के द्वारा की जायेगी तथा इससे अधिक धनराशि के दावे स्वीकृति हेतु राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति के विचार/निर्णय हेतु अनुशंसा के साथ उद्योग निदेशालय को अग्रसारित किये जायेंगे।

7. **विद्युत प्रतिपूर्ति सहायता की स्वीकृति/संवितरण हेतु प्रक्रिया**

पात्र उद्यमों को निर्धारित आवेदन पत्र में निम्नांकित सहपत्रों/अभिलेखों के साथ सम्बन्धित जिले के जिला उद्योग केन्द्र में आवेदन करना होगा:-

1. सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 के अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम की स्थापना के पश्चात् सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र में फाइल किये गये उद्यमिता ज्ञापन भाग–1 या भाग–2 की अभिस्वीकृति अथवा CAF की सैद्धान्तिक स्वीकृति तथा उद्योग आधार की सत्यापित प्रति।

2. जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी व्यवसायिक उत्पादन प्रमाण पत्र।

3. विद्युतभार स्वीकृति पत्र तथा विद्युत मीटर सीलिंग सर्टिफिकेट की प्रमाणित प्रति।

4. वैध विद्युत बिल तथा इसके भुगतान प्राप्ति रसीद की प्रमाणित प्रति।

5. ऊर्जा निगम के सक्षम अधिकारी द्वारा इकाई के पक्ष में जारी इस आशय का प्रमाण पत्र कि स्वीकृत लोड का कितना प्रतिशत भाग उत्पादन/सेवा कार्य तथा कार्यालय हेतु व्यय किया जा रहा है। (प्रथम दावे के साथ तथा किसी भी परिवर्तन के समय)।

6. निश्चित समय पर विद्युत बिल का भुगतान करने के पश्चात् तीन माह के अन्दर जिला उद्योग केन्द्र में दावा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। अपरिहार्य कारणों से हुये विलम्ब को गुणदोष के आधार पर माफ किया जा सकेगा।

7. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र दावा प्राप्त होने पर दावे का परीक्षण कर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्रियान्वयन आदेश–2015 के अन्तर्गत अनुदान एवं सहायता की स्वीकृति हेतु गठित जिला स्तरीय प्राधिकृत समिति में दावा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगे। समिति से स्वीकृति मिलने पर सम्बन्धित इकाई को दावे की स्वीकृति की संसूचना दी जायेगी। उद्योग निदेशालय बजट आवंटन होने पर सम्बन्धित जनपद को बजट की उपलब्धता के आधार पर मांगी गई धनराशि का आवंटन करेगा। धनराशि प्राप्त होने पर महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा सम्बन्धित इकाई को स्वीकृत धनराशि संवितरित की जायेगी।

8. **प्रतिपूर्ति सहायता की वसूली**

1. यदि उद्यम द्वारा तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत कर अथवा कोई तथ्य छुपाकर सहायता प्राप्त की गई हो।

2. प्रतिपूर्ति सहायता की अर्हता के लिए विनिर्माणक तथा सेवा उद्यम का नियमित उत्पादनरत्/कार्यरत् रहना अपेक्षित है। उद्यमी द्वारा व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् न्यूनतम 5 वर्ष तक अपना उद्यम चालू रखना होगा। नियंत्रण से परे कारणों पर निर्णय के लिये निदेशक उद्योग सक्षम प्राधिकारी होंगे।

3. प्रतिपूर्ति सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में कोई जानकारी माँगे जाने पर सूचना उपलब्ध न कराने अथवा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्रियान्वयन आदेश–2015 (यथासंशोधित– 2020) में उल्लिखित शर्तों के पालन न होने पर छूट सहायता की वसूली 18 प्रतिशत ब्याज के साथ एक मुश्त राजस्व वसूली के सादृश्य की जा सकेगी।

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य परिवहन उपादान योजना

1. संक्षिप्त नाम — यह योजना 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य परिवहन उपादान योजना कहलायेगी।

2. उद्देश्य — इस योजना का उद्देश्य चिन्हित जनपदों/क्षेत्रों में उद्योग लगाने हेतु उद्यमियों को प्रोत्साहित करना तथा उत्पादित कच्चेमाल के आन्तरिक परिवहन में होने वाली लागत बृद्धि की क्षतिपूर्ति कर उत्पादित वस्तुओं के मूल्य को प्रतिस्पर्धात्मक बनाना है।

3. योजना का प्रारम्भ तथा पात्रता अवधि — यह योजना दिनांक 31 जनवरी, 2015, जैसा कि कार्यालय ज्ञाप दिनांक 31 जनवरी, 2015 तथा दिनांक 08 मार्च, 2019 में जैसा कि विहित किया गया है, से लागू होकर दिनांक 31 मार्च, 2023 तक लागू रहेगी। इस योजनान्तर्गत दिनांक 31 मार्च, 2020 से पूर्व स्थापित होकर उत्पादन में आने वाले चिन्हित नये तथा पर्याप्त विस्तारीकरण के विनिर्माणक तथा सेवा क्षेत्र के उद्यमों को उत्पादन प्रारम्भ करने /सेवा प्रदान करने की तिथि से 31 मार्च, 2025 अथवा मूल नीति में दी गयी अवधि तक, जो भी पहले घटित हो, नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहन का लाभ अनुमन्य होगा, किन्तु दिनांक 31 मार्च, 2020 के पश्चात योजना की वैधता अवधि में उत्पादन प्रारम्भ करने वाले सभी उद्यमों को उत्पादन/वाणिज्यिक गतिविधि प्रारम्भ करने के दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहन सुविधा का लाभ अनुमन्य होगा।

4. विनिर्माणक उद्यम की परिभाषा — 1. **नये विनिर्माणक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम** से तात्पर्य ऐसे उद्यम से है, जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति नियमावली–2015 में विनिर्माणक उद्यम के रूप में परिभाषित किया गया है।

2. **कच्चेमाल** का तात्पर्य ऐसे माल से है, जिसे किसी उद्यम ने अपने उत्पाद के विनिर्माण में उपयोग किया हो अथवा उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया गया हो। इसमें इकाई द्वारा उत्पादन में उपयोग किये गये समस्त इन्पुट्स सम्मिलित होंगे।

3. **तैयार माल** का तात्पर्य ऐसे माल से है, जिसे उद्यम ने भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र अथवा केन्द्रीय बिक्रीकर/प्रादेशिक वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीकृत या अनुमोदित उत्पादन कार्यक्रमानुसार वास्तव में उत्पादित किया हो, जिसमें सह उत्पाद भी

सम्मिलित होंगे।

5. पात्रता

1. ऐसे उद्यम द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र में उद्यमी ज्ञापन (भाग–1 या भाग–2) फाइल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की गई हो या एम0एस0एम0ई0 योजनान्तर्गत पूर्व पंजीकरण कराया गया हो अथवा एकल खिड़की व्यवस्थान्तर्गत CAF दाखिल कर उद्यम स्थापना हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृत प्राप्त की हो और **'उद्योग आधार'** प्राप्त किया हो।

2. ऐसे उद्यम द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 (यथासंशोधित–2019) में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों एवं अनुदान सहायता के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर पंजीकरण प्राप्त कर लिया गया हो।

3. इस योजना की सुविधा प्राप्त करने हेतु उद्यम की स्थापना के लिए ई0एम0 पार्ट–1 अथवा एम0एस0एम0ई0 नीति के अन्तर्गत पूर्व पंजीकरण या एकल खिड़की व्यवस्थान्तर्गत CAF में एम0एस0एम0ई0 नीति के अन्तर्गत निर्दिष्ट कॉलम पर पूर्व–पंजीकरण हेतु आवेदन कर उद्यम स्थापना के लिए सैद्धान्तिक स्वीकृत प्राप्त की गयी हो।

4. ईधन, कच्चेमाल अथवा तैयार माल की पैकिंग हेतु प्रयुक्त सामग्री तथा विभिन्न प्रकार की ऐसी सामाग्रियॉ, जो प्रयुक्त होने के उपरान्त नष्ट हो जाती हैं (Consumables) के लिये यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। यह सुविधा 31 जनवरी, 2015 के बाद स्थापित किये गये समस्त पात्र उद्यमों को अनुमन्य होगी, लेकिन योजना के अन्तर्गत किये गये पंजीकरण की तिथि से अथवा इसके बाद परिवहन किये गये कच्चेमाल तथा तैयार माल पर ही यह अनुदान देय होगा।

6. उपादान की मात्रा एवं सीमा

1. स्वनिर्मित उत्पाद की सालाना बिक्री (Annual Turn Over) पर श्रेणी–ए के जनपदों में कुल सालाना बिक्री का 7 प्रतिशत अथवा वास्तविक रूप से कच्चा माल/तैयार माल के परिवहन भाड़े में किया गया व्यय, इनमें से जो भी कम हो।

2. स्वनिर्मित उत्पाद की सालाना बिक्री (Annual Turn Over) पर श्रेणी–बी के जनपदों में कुल सालाना बिक्री का 5 प्रतिशत अथवा वास्तविक रूप से कच्चा माल/तैयार माल के परिवहन

भाड़े में किया गया व्यय, इनमें से जो भी कम हो।

3. स्वनिर्मित उत्पाद की सालाना बिक्री पर श्रेणी–बी+ के जनपदों /क्षेत्रों में कुल सालाना बिक्री का 5 प्रतिशत, अधिकतम रू. 5 लाख प्रति वर्ष/प्रति इकाई अथवा वास्तविक रूप से कच्चामाल/तैयार माल के परिवहन भाड़े में किया गया व्यय, इनमें से जो भी कम हो।

4. इकाई की सालाना बिक्री (Annual Turn Over) की पुष्टि वाणिज्य कर विभाग में दाखिल प्रतिफल (Return) तथा सत्यापन रिपोर्ट से की जायेगी।

5. कच्चे माल तथा तैयार माल के परिवहन भाड़े पर किये गये वास्तविक व्यय की पुष्टि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा दिये गये प्रमाण–पत्र तथा परिवहन से सम्बन्धित बिल वाउचर/भुगतान के आधार पर की जायेगी।

7. **अभिलेखों का रख–रखाव**

इस सुविधा का उपयोग करने वाले उद्यमों को कच्चेमाल तथा तैयार माल का विस्तृत विवरण अभिलेखों में अंकित करना होगा तथा जब कभी उद्योग विभाग के किसी अधिकृत प्रतिनिधि/प्राधिकारी द्वारा उनकी मॉग की जाय, तो तत्काल उपलब्ध कराने होंगे। यदि इन अभिलेखों के अतिरिक्त अन्य किसी अभिलेख सन्दर्भगत योजना से सम्बन्धित हों, तो उसे भी उद्यम निरीक्षण/सत्यापन हेतु उपलब्ध करायेगी, अन्यथा उसे इस सुविधा का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

8. **विशेष परिवहन उपादान दावों का प्रस्तुतिकरण**

1. उद्यम द्वारा दावों का प्रस्तुतिकरण निर्धारित आवेदन पत्र पर लेखा वर्ष के आधार पर सम्बन्धित महाप्रबन्धक/प्रभारी महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को किया जायेगा। उद्यम द्वारा प्रथम लेखा वर्ष के परिवहन उपादान दावे उसके अनुवर्ती लेखा वर्ष के द्वितीय माह के अन्त तक सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र को अवश्य प्रस्तुत करने होंगे एवं महाप्रबन्धक/प्रभारी महाप्रबन्धक अनुवर्ती लेखा वर्ष के तृतीय माह के अन्त तक जॉच/परीक्षण की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अनुवर्ती लेखा वर्ष के चतुर्थ माह में स्वीकृति हेतु जिला स्तर पर गठित जिला उद्योग मित्र समिति की प्राधिकृत समिति के सम्मुख अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करेंगे। यदि किसी उद्यम द्वारा किसी लेखा वर्ष का दावा अपरिहार्य परिस्थितियों में निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार प्रस्तुत न किया जा सके, तो उसे वह दावा विलम्बतः अनुवर्ती लेखा वर्ष के तृतीय माह के अन्त

तक अवश्य प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा इसके उपरान्त इस दावे पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

2. प्रत्येक दावे के साथ उद्यम द्वारा कच्चामाल क्रय तथा तैयार माल बिक्री के बिल, कैश मैमो एवं भुगतान प्राप्ति रसीदों की प्रमाणित प्रतियॉं, वाणिज्य कर विभाग में प्रस्तुत रिटर्न तथा वाणिज्य कर विभाग की सत्यापन रिपोर्ट साक्ष्य में उपलब्ध करानी होंगी।

9. दावे की स्वीकृति की प्रक्रिया

1. विशेष राज्य परिवहन उपादान के दावे, रू. 10.00 लाख की सीमा तक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला उद्योग मित्र की समिति द्वारा स्वीकृत किया जायेगा तथा रू. 10.00 लाख से अधिक के दावे राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

10. उपादान संवितरण की प्रक्रिया

1. उपादान के संवितरण के लिये निदेशक उद्योग अथवा महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र संवितरण एजेन्सी के रूप में कार्य करेंगे।

2. जिला उद्योग मित्र की प्राधिकृत समिति से दावा (रू. 10 लाख की सीमा तक) स्वीकृत होने के उपरान्त सम्बन्धित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र निर्धारित प्रारूप पर उपादान स्वीकृति की संसूचना सम्बन्धित उद्यम को जारी करेंगे।

3. प्राधिकृत समिति से दावा स्वीकृत होने पर धनराशि के संवितरण के लिये प्राधिकृत समिति की बैठक के कार्यवृत्त सहित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा धनराशि की मॉंग निदेशक उद्योग को प्रस्तुत की जायेगी।

4. रू. 10 लाख से अधिक के प्रकरण प्रयोजन हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे, जिसमें निदेशालय की संस्तुति तथा संगत अभिलेख समिति के विचार हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे। समिति की संस्तुति/स्वीकृति के उपरान्त धनराशि के संवितरण की कार्यवाही निदेशालय द्वारा की जायेगी।

5. निदेशक उद्योग बजट उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत धनराशि/ प्राप्त मॉंग के सापेक्ष धनराशि संवितरण हेतु अवमुक्त करेंगे।

6. उपादान संवितरण से पूर्व राज्य सरकार की ओर से महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा स्थापित नये उद्यम के बीच एक अनुबन्ध/करार किया जायेगा, जिसमें उपादान सहायता की राशि तक की परिसम्पत्तियों, यथाः कार्यशाला भवन, प्लाण्ट व मशीनरी इत्यादि के गिरवी/बन्धक रखना शामिल हो। राज्य सरकार तथा उद्यम के बीच अनुबन्ध/करार हेतु आलेख का निर्धारण कर उसका अनुमोदन निदेशक उद्योग, उत्तराखण्ड के स्तर से किया जायेगा।

11. संवितरण एजेन्सी के अधिकार तथा उपादान प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाई का दायित्व

1. यदि राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट है कि किसी उद्यम ने उपादान हेतु किसी आवश्यक तथ्य के बारे में मिथ्या कथन, मिथ्या जानकारी प्रस्तुत की है अथवा वह उद्यम प्रारम्भ होने से 05 वर्ष के अन्दर उत्पादन बन्द कर देता है, तो राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह उद्यम को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपादान सहायता 18 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करने हेतु आदेश जारी कर सकता है।

2. निदेशक उद्योग अथवा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना उद्यम के किसी भी स्वामी को उपादान सहायता प्राप्त करने के पश्चात् उस सम्पूर्ण उद्यम या उसके किसी भाग के स्थापना स्थल को बदलने के लिये या उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् 05 वर्ष की अवधि के अन्दर अपने कुल निर्धारित पूंजी निवेश में प्राप्त संक्षेपन अथवा इसके पर्याप्त भाग का निपटान करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

3. जिन उद्यमों ने रू. 1.00 लाख (रू. एक लाख मात्र) से अधिक का उपादान प्राप्त किया है, उन्हें उपादान प्राप्त होने के वर्ष से 5 वर्ष तक अंकेक्षित लेखे व उत्पादन/विक्रय विवरण प्रस्तुत करने होंगे। रू. 1.00 लाख (रू. एक लाख मात्र) से कम उपादान प्राप्त करने वाले उद्यम को उत्पादन व विक्रय की जानकारी देनी होगी।

4. उद्यम को व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् न्यूनतम 05 वर्ष तक अपना उद्यम चालू रखना होगा। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में उद्यम का 6 माह की अवधि तक बन्द रखा जाना, उद्यम/औद्योगिक इकाई को बन्द की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। नियंत्रण से परे कारणों पर, निदेशक उद्योग का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

12. अन्य

1. इस योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में यदि कोई स्पष्टीकरण वांछित होगा, तो ऐसे मामले एम.एस.एम.ई. के निदेशक, पदधारक अधिकारी को सन्दर्भित किये जायेंगे तथा निदेशक, एम.एस.एम.ई./उद्योग उत्तराखण्ड का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा। विशिष्ट प्रकरण व्याख्या हेतु शासन को सन्दर्भित किये जायेंगे।

2. परिवहन उपादान हेतु अपात्र वस्तुओं एवं अपात्र उद्यमों की सूची में समय-समय पर संशोधन करने का अधिकार राज्य सरकार का होगा।

3. परिवहन उपादान से सम्बन्धित प्राप्त आवेदन पत्रों एवं अभिलेखों का रख-रखाव तथा समय-समय पर आडिट इत्यादि का दायित्व महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र का होगा।

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव।

उत्तराखण्ड के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को राज्य माल और सेवा कर (SGST) प्रतिपूर्ति योजना

1. संक्षिप्त नाम

यह दिशा निर्देश उत्तराखण्ड शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग कार्यालय ज्ञाप संख्या 895/VII-2-18 /123–उद्योग/2008 दिनांक 11 मई, 2018, कार्यालय ज्ञाप संख्या 527/VII-3-19/146–एम0एस0एम0ई0/2013 दिनांक 08 मार्च, 2019 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या 2511/VII-3-19/146–एम0एस0एम0ई0/2013 दिनांक 10 दिसम्बर, 2019 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं तथा इन दिशा निर्देशों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माणक उद्यम माल और सेवा कर प्रतिपूर्ति योजना– 2019 होगा।

2. उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2008 (यथासंशोधित 2011) में वर्गीकृत श्रेणी–ए तथा बी और एम0एस0एम0ई0 नीति–2015 (यथासंशोधित– 2016, 2018 व 2019) में वर्गीकृत श्रेणी–ए, बी व बी+ में स्थापित होने वाले विनिर्माणक सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों तथा श्रेणी–बी, बी+, सी व डी में सिडकुल/उद्योग विभाग द्वारा विकसित निर्दिष्ट अरोमा पार्क में स्थापित होने वाले नये चिन्हित अरोमा उद्यमों को बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाये रखते हुए इकाई के उत्पाद में होने वाली लागत वृद्धि को कम करना है, जिससे वर्गीकृत क्षेत्र में स्थापित होने वाली उक्त इकाईयों को उत्पाद की बिक्री में सहायता मिल सके तथा उक्त इकाईयां सतत् रूप से क्रियाशील रह सके।

3. योजना अवधि

यह योजना एम0एस0एम0ई0 नीति, 2015 के जारी होने के दिनांक 31 जनवरी, 2015 से 31 मार्च, 2023 तक अथवा शासन के कोई अन्यथा आदेश पारित करने की दशा में वर्णित दिनांक तक स्थापित औद्योगिक इकाईयों को उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक से 31 मार्च, 2025 तक अथवा दिनांक 31 मार्च, 2020 के पश्चात उत्पादन प्रारम्भ करने वाले उद्यमों के लिए अधिकतम पांच वर्ष, जो भी पहले घटित हो, लागू रहेगी।

4. परिभाषायें

(1) राज्य माल और सेवा कर (एस0जी0एस0टी0) से "उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017" (अधिनियम संख्या–6, वर्ष 2017) की धारा–9 के अधीन उदग्रहीत राज्य माल और सेवा कर (एस0जी0एस0टी0) अभिप्रेत है।

(2) नए अभिज्ञात विनिर्माणक/उत्पादक (Manufacturing) उद्यम से तात्पर्य ऐसे उद्यम से है, जो उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग से सम्बन्धित वस्तु के विनिर्माण या उत्पादन में या अंतिम उत्पाद, जो एक सुभिन्न नाम या लक्षण या उपयोगिता रखता हो, के मूल्य वृद्धि की प्रक्रिया में लगे हुए हों या संयंत्र और मशीनरी का नियोजन करने वाले, उद्यमों की दशा में, जैसे:–

(एक) एक **सूक्ष्म उद्यम,** जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पच्चीस लाख रूपये से अधिक न हो।

(दो) एक **लघु उद्यम,** जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पच्चीस लाख रूपये से अधिक हो किन्तु पांच करोड़ से अधिक न हो, या

(तीन) एक **मध्यम उद्यम,** जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पांच करोड़ रूपये से अधिक हो परन्तु दस करोड़ रूपये से अधिक न हो।

(3) **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से तात्पर्य ऐसे उद्यम से है,** जिसे 'सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006' के अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के रूप में परिभाषित किया गया हो तथा जिसकी www.investuttarakhand.com वेबसाइट पोर्टल पर Common Application Form पर उद्यम स्थापना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर जिला प्राधिकृत समिति से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त की गयी हो अथवा सम्बन्धित जनपद के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र में उद्यमी ज्ञापन भाग–1 व 2 (EM Part-I & II) फाइल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की गयी हो अथवा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार में उद्योग आधार ज्ञापन फाइल कर "**उद्योग आधार**" प्राप्त किया गया हो।

5. स्वीकार्य राज्य माल और सेवा कर (एस.जी.एस. टी.)

पात्र औद्योगिक इकाईयों/उद्यमों को स्वनिर्मित उत्पाद की बिक्री पर दाखिल विवरणी के अनुसार एवं आई0टी0सी0 समायोजन के पश्चात कुल कर दायित्व को देखते हुए भुगतान किये गये माल और सेवा कर (जी.एस.टी.) के अन्तर्गत दिये गये, ऐसे एस0जी0एस0टी0 भाग की प्रतिपूर्ति की जायेगी, जो राज्य के अन्दर सीधे ग्राहक (B2C) को विक्रय से सम्बन्धित हो:-

(1) विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2008 (यथासंशोधित-2011) में वर्गीकृत श्रेणी-ए व बी में स्थापित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माणक (Manufacturing) उद्यमों को माल और सेवा कर (जी0एस0टी0) के अन्तर्गत दिये गये एस0जी0एस0टी0 भाग की प्रतिपूर्ति की सीमा श्रेणी-ए के जिलों/क्षत्रों में कुल शुद्ध एस0जी0एस0टी0 कर देयता, जो राज्य के अन्दर सीधे ग्राहक (बी टू सी) को विक्रय से सम्बन्धित हो, का 90 प्रतिशत तथा श्रेणी-बी के जिलों में कुल शुद्ध एस0जी0एस0टी0 कर देयता, जो राज्य के अन्दर सीधे ग्राहक (बी टू सी) को विक्रय से सम्बन्धित हो, का 75 प्रतिशत होगी।

(2) सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम नीति, 2015 (यथासंशोधित-2016, 2018 व 2019) के अन्तर्गत राज्य माल और सेवा कर (एस0जी0एस0टी0) के भाग की प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा एवं मात्रा श्रेणी-ए के जिलों/क्षेत्रों (निर्दिष्ट अरोमा पार्क सहित) के लिए 5 वर्ष तक कुल शुद्ध एस0जी0एस0टी0 कर देयता, जो राज्य के अन्दर ग्राहक (बी टू सी) को विक्रय किया गया हो, का शत् प्रतिशत तथा तत्पश्चात् शेष समय तक 90 प्रतिशत और श्रेणी-बी तथा बी+ के जिलों/क्षेत्रों में 5 वर्ष तक कुल शुद्ध एस0जी0एस0टी0 कर देयता, जो राज्य के अन्दर ग्राहक (बी टू सी) को विक्रय किया गया हो, का शत् प्रतिशत तथा तत्पश्चात शेष समय तक 75 प्रतिशत की दर से देय होगी।

स्पष्टीकरण:-

एम0एस0एम0ई0 विभाग की नीतियों के अन्तर्गत अर्ह विनिर्माणक इकाईयों को प्रान्त के भीतर बी 2 सी (Business to Consumer) अर्थात् अपंजीकृत को बिक्री के बिन्दु पर देय एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति अनुमन्य है। अपंजीकृत से आशय

अपंजीकृत कोई उपभोक्ता, अपंजीकृत व्यापारी, अपंजीकृत सरकारी विभाग तथा ऐसे सरकारी विभाग, जो जी0एस0टी0 के अन्तर्गत मात्र टी0डी0एस0 के कटौतीकर्ता के रूप में पंजीकृत हैं, अभिप्रेत है।

6. पात्रता

राज्य माल और सेवा कर (एस0जी0एस0टी0) प्रतिपूर्ति हेतु पात्रता का निर्धारण निम्नांकित आधार पर किया जायेगा:–

(1) इकाई सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति नियमावली, 2015 अथवा विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2008 (यथा संशोधित, 2011) में चिन्हित विनिर्माण उद्यम की श्रेणी में आती हो।

(2) इकाई विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2008 (यथासंशोधित, 2011) अथवा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति, 2015 (यथासंशोधित– 2016, 2018 व 2019) के अन्तर्गत उल्लिखित श्रेणी/क्षेत्रों/पार्क में स्थापित हो।

(3) इकाई की स्थापना हेतु जिला प्राधिकृत समिति से CAF दाखिल कर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त की गयी हो अथवा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 के अन्तर्गत चिन्हित उत्पाद विनिर्माण हेतु उद्यमिता ज्ञापन भाग–1 व भाग–2 (EM Part-I & II) फाइल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की गयी हो अथवा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार में उद्योग आधार ज्ञापन (UAM) फाइल कर **उद्योग आधार** प्राप्त किया गया हो।

(4) इकाई द्वारा माल और सेवा कर (जी0एस0टी0) के अधीन उत्पादित उत्पाद के विनिर्माण हेतु पंजीकरण प्राप्त किया गया हो।

(5) इकाई विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2008 (यथासंशोधित–2011) अथवा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति, 2015 (यथासंशोधित– 2016, 2018 व 2019) के सभी मानकों/अर्हताओं को पूर्ण करती हो।

7. **राज्य माल और सेवा कर (एस.जी. एस.टी.) के प्रतिपूर्ति दावों की** राज्य माल और सेवा कर (एस0जी0एस0टी0) प्रतिपूर्ति सहायता के संवितरण हेतु राज्य का सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से सम्बन्धित निदेशालय, 'नोडल अभिकरण' के रूप में कार्य करेगा तथा शासन से इस रूप में प्राप्त बजट का आवंटन/संवितरण, प्राप्त प्रतिपूर्ति दावों

स्वीकृति /संवितरण की प्रक्रिया

की अर्हता पर निर्णय लेने के लिए गठित राज्य/जिला स्तरीय प्राधिकृत समिति के अनुमोदनोपरान्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से सम्बन्धित इकाई को किया जायेगा।

10 लाख रूपये या कम प्रतिपूर्ति के दावों की स्वीकृति जिला प्राधिकृत समिति के द्वारा प्रत्येक तीन माह में की जायेगी तथा इससे अधिक की स्वीकृति राज्य प्राधिकृत समिति के द्वारा की जायेगी।

8. **राज्य माल और सेवा कर (एस.जी. एस.टी.) प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया**

पात्र विनिर्माणक इकाईयों द्वारा सर्वप्रथम माल और सेवा कर अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप मासिक/त्रैमासिक विवरणी दाखिल की जायेगी तथा विवरणी के अनुसार राज्य माल और सेवा कर (SGST) अधिनियम के अन्तर्गत जो भी कर दायित्व बनता है, से सम्बन्धित सम्पूर्ण धनराशि राजकोष में जमा की जायेगी तथा काई भी अंश अपने पास नहीं रखा जायेगा। दाखिल विवरणी के अनुसार एवं आई0टी0सी0 के समायोजन के पश्चात कुल कर दायित्व को देखते हुए इकाई को इन दिशा निर्देशों के प्राविधानों के अनुसार भुगतान किये गये राज्य माल और सेवा कर (एस0जी0एस0टी0) के अनतर्गत दिये गये, ऐसे एस0जी0एस0टी0 के भाग की प्रतिपूर्ति की जायेगी, जो राज्य के अन्दर सीधे ग्राहक (बी टू सी) को विक्रय से सम्बन्धित हो। इस हेतु दावा निर्धारित आवेदन पत्र पर निम्नलिखित अभिलेखों सहित सम्बन्धित जिले के जिला उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत किया जायेगा:-

(1) इकाई की स्थापना हेतु जिला प्राधिकृत समिति से CAF दाखिल कर प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति अथवा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 के अन्तर्गत चिन्हित उत्पाद विनिर्माण हेतु उद्यमिता ज्ञापन भाग–1 व भाग–2 (EM Part-I & II) फाइल कर उसकी प्राप्त अभिस्वीकृति की प्रति या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार में उद्योग आधार ज्ञापन (UAM) फाइल कर प्राप्त किये गये **उद्योग आधार** की प्रति।

(2) जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी व्यवसायिक उत्पादन प्रमाण–पत्र।

(3) इकाई द्वारा निर्धारित माल और सेवा कर भुगतान की, राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा प्रमाणित प्रति अथवा

ऑनलाइन भुगतान की प्रति, जिसमें यह स्पष्ट हो कि भुगतान राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड के हित में किये गया हो।

(4) इकाई के मासिक/त्रैमासिक रिटर्न (Return) की राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा सत्यापित प्रति।

(5) इकाई के वार्षिक कर प्रतिफल (Annual Tax Return) की सत्यापित प्रति, प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर।

(6) राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा इकाई के पक्ष में जारी पंजीकरण प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति (प्रथम दावे के साथ)।

(7) अन्य वांछित अभिलेख/प्रमाण पत्र।

स्पष्टीकरणः

(एक) माल और सेवा कर की प्रतिपूर्ति हेतु दावा प्रत्येक तीन माह की समाप्ति के पश्चात अगले त्रैमास के अन्दर सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ऐसे किसी भी दावे को निर्धारित अवधि के उपरान्त प्रस्तुत किये जाने की दशा में दावे पर विचार नहीं किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में कालातीत दावों के संदर्भ में गुण–दोष के आधार पर राज्य/जिला प्राधिकृत समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

(दो) यद्यपि प्रतिपूर्ति सहायता दावे त्रैमासिक आधार पर प्रस्तुत/स्वीकृत किये जायेंगे, किन्तु प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर वार्षिक कर प्रतिफल (Annual Tax Return) की कर विभाग में दाखिल वार्षिक विवरणी की सत्यापित प्रति उस तीन माह के दावे के साथ प्रस्तुत की जानी आवश्यक होगी। इकाई का दावाकृत प्रतिपूर्ति समस्त मासिक/त्रैमासिक विवरणियों तथा वार्षिक विवरणी दाखिल किये जाने के उपरान्त ही देय होगी।

(तीन) सभी पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माणक उद्यम ऑनलाइन आवेदन सम्बन्धित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को करेंगे, जिसमें उद्यम का व्यापारिक नाम, पता, जी0एस0टी0आई0एन0, उत्पादित उत्पाद का नाम, एच0एस0एन0 कोड, कुल विक्रय, राज्य में बी2बी बिक्री,

राज्य में बी2सी बिक्री, एस0जी0एस0टी0 तथा आई0जी0एस0टी0 के आई0टी0सी0 के समायोजन की राशि, कुल जमा किया गया एस0जी0एस0टी0, उत्तराखण्ड में उपभोक्ताओं को की गयी बिक्री पर जमा की गयी एस0जी0एस0टी0 राशि का विवरण आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

(चार) महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऑनलाइन प्रतिपूर्ति दावा आवेदन प्राप्ति के 3 दिन के अन्दर कर विभाग के नामित नोडल अधिकारी को ऑनलाइन अग्रसारित करेंगे और नोडल अधिकारी द्वारा अपने स्तर से इस आवेदन को सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को ऑनलाइन प्रेषित किया जायेगा। कर निर्धारण अधिकारी ऑनलाइन प्राप्त आवेदन के 3 दिन के अन्दर दावाकृत एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति आवेदक को अनुमन्य होने के सम्बन्ध में अपना अभिमत/आख्या महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को प्रेषित कर देंगे।

(पांच) दावाकृत प्रतिपूर्ति के अनुमन्य न होने अथवा दावा से कम राशि अनुमन्य होने की स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी निर्धारित समय–सीमा के अन्दर ही आवेदक को ऑनलाइन ही अपना पक्ष रखने के लिए कहेंगे। आवेदक से प्रत्युत्तर प्राप्त न होने अथवा दावे से कम प्रतिपूर्ति की राशि अनुमन्य होने अथवा अनुमन्य न होने के सम्बन्ध में आवेदक तथा सम्बन्धित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को सूचित किया जायेगा।

9. **प्रतिपूर्ति की वसूली** निम्नलिखित परिस्थितियों में इकाई को भुगतान किये गये राज्य माल और सेवा कर की प्रतिपूर्ति की वसूली 18 प्रतिशत ब्याज के साथ भू–राजस्व वसूली की भांति की जा सकेगी:–

(1) यदि इकाई द्वारा तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया हो अथवा किसी तथ्य को छिपाया गया हो।

(2) इकाई द्वारा व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् न्यूनतम 5 वर्ष तक अपना उद्यम चालू न रखा हो। विशेष अथवा आपदा सम्बन्धी कारणों पर निर्णय के लिए महानिदेशक उद्योग का निर्णय अन्तिम होगा।

(3) प्रतिपूर्ति दावों के सम्बन्ध में कोई जानकारी अथवा सूचना उपलब्ध न करायी हो अथवा विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2008 (यथा संशोधित, 2011) अथवा राज्य की एम0एस0एम0ई0 नीति/क्रियान्वयन आदेश, 2015 (यथासंशोधित–2020) /संगत नियमों द्वारा निर्धारित मानकों/ दिशा निर्देशों का पालन न किया गया हो।

10. स्पष्टीकरण

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति, 2015 (यथा संशोधित–2016, 2018 व 2019) के अन्तर्गत पात्र ऐसे विनिर्माण उद्यम, जिनके द्वारा उत्पादित माल/वस्तु जिन पर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (GST) लागू नहीं होता और जिन पर राज्य के अन्दर उत्पादित माल/वस्तु के विक्रय में पूर्व की भांति मूल्यवर्धित कर (VAT) अधिरोपित किया जा रहा है, को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति तथा इस विषय पर दिशा निर्देशों/ प्रक्रिया, जैसा कि पूर्व में विहित किया गया है, के अनुसार ही निर्धारित सीमा/मात्रा में पात्रता के आधार पर मूल्यवर्धित कर की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव।

गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रोत्साहन सहायता की प्रतिपूर्ति नियमावली

1.	संक्षिप्त नाम	यह योजना राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणीकरण (आई.एस.ओ. /आई.एस.आई. /बी.आई.एस. /पेटेन्ट /क्वालिटी मार्केटिंग /ट्रेड मार्क/कॉपीराइट /एफ.एस. एस.ए.आई./प्रदूषण नियंत्रण आदि) प्रोत्साहन सहायता नियमावली–2019 कहलायेगी।
2.	उद्देश्य	इस योजना का उद्देश्य उद्यमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं/सेवाओं की गुणवत्ता/प्रबन्धन, संवर्द्धन एवं संरक्षण तथा पर्यावरण प्रबन्धन व्यवस्था में सुधार करना होगा।
3.	सहायता का स्वरूप एवं मात्रा	आई.एस.ओ. प्रमाणीकरण के अतिरिक्त उत्पाद की गुणवत्ता तथा मानकीकरण हेतु उद्यम द्वारा राष्ट्रीय/अर्न्तराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संस्थाओं में आई.एस.आई. क्वालिटी मार्किंग, बी.आई.एस. ट्रेड मार्क/पेटेंट/कापीराइट/एफ.एस.एस.ए. आई. पंजीयन तथा प्रदूषण नियंत्रण उपायों के लिये किये गये व्यय का 75 प्रतिशत, अधिकतम रू. 1.00 लाख (रूपये एक लाख मात्र) तक की धनराशि की प्रतिपूर्ति उपादान सहायता के रूप में की जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में इस हेतु सभी श्रोतों से प्राप्त उपादान सहायता की धनराशि इस मद में किये गये व्यय से अधिक नहीं होगी। गुणवत्ता/प्रबन्धन प्रमाण पत्र प्राप्त करने में किये गये व्ययों में आवेदन शुल्क, अंकेषण शुल्क, वार्षिक फीस/अनुज्ञा शुल्क, प्रशिक्षण शुल्क, तकनीकी कन्सल्टेंसी , यंत्र संयंत्र का मूल्य तथा अधिष्ठापन व्यय सम्मिलित होगा, परन्तु यात्रा व्यय, होटल व्यय, टेलीफोन, पत्राचार व्यय का समावेश इसमें नहीं किया जायेगा।
4.	योजना का प्रारम्भ तथा पात्रता अवधि	यह योजना 31 जनवरी, 2015 से प्रभावी होगी। योजना प्रारम्भ होने की तिथि के पश्चात स्थापित होने वाले पात्र नये तथा पर्याप्त विस्तारीकरण के उद्यमों को योजना की वैधता अवधि में अर्थात् दिनांक 31 मार्च, 2023 तक गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर किये गये

व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु यह सुविधा उपलब्ध होगी ।

5. परिभाषा

इस योजना के अन्तर्गत सहायता हेतु नये/विस्तारीकरण के सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम की वही परिभाषायें होगी, जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 2287/सात–II/15/ 146–एम.एस.एम. ई./2013 दिनांक 03 दिसम्बर, 2015 में परिभाषित की गयी हैं।

6. पात्रता

(1) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति में पर्वतीय क्षेत्रों के श्रेणी–ए, बी व बी+ में वर्गीकृत जनपदों/क्षेत्रों में स्थापित नये/पर्याप्त विस्तारीकरण के सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणीकरण/मानकीकरण के तहत आई0एस0ओ0/ आई.एस.आई./बी.आई.एस./पेटेन्ट/क्वालिटी मार्किंग /ट्रेड मार्क /कापीराइट /एफ.एस.एस.ए.आई. /प्रदूषण नियंत्रण एवं समान प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र/पंजीकरण प्राप्त करने पर सहायता के पात्र होंगे।

(2) ऐसे उद्यमों द्वारा एकल खिड़की व्यवस्थान्तर्गत नये उद्यम की स्थापना अथवा विद्यमान् उद्यम के विस्तारीकण के लिए CAF दाखिल कर जिला प्राधिकृत समिति से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त की गयी हो अथवा जनपद के जिला उद्योग केन्द्र से उद्यमी ज्ञापन (भाग–1 व भाग–2) की अभिस्वीकृति या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार से उद्योग आधार अथवा विधिमान्य पंजीकरण प्राप्त किया गया हो।

(3) गुणवत्ता प्रमाणीकरण उपादान योजनान्तर्गत उपादान सहायता का लाभ लेने के लिए उद्यम को गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्त करने के एक वर्ष के भीतर अपने जनपद के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को एकल खिड़की व्यवस्था के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसकी प्रति manually भी वांछित अभिलेखों/प्रमाणपत्रों के साथ महाप्रबन्धक, जिला

उद्योग केन्द्र को ऑनलाइन आवेदन करने के एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करनी आवश्यक होंगी। निर्धारित अवधि के पश्चात् किये गये आवेदनों पर प्रोत्साहन सहायता प्राप्त नहीं होगी।

(4) उद्यम द्वारा यदि भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार की गुणवतत्ता प्रमाणीकरण हेतु संचालित योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त किया गया हो, तो उन्हें इस योजना का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

7. **योजना का क्रियान्वयन** — योजना का क्रियान्वयन उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड व उनके अधीनस्थ जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जायेगा।

8. **प्रोत्साहन सहायता हेतु आवेदन करने तथा स्वीकृति की प्रक्रिया**

1. पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों निर्धारित आवेदन पत्र में निम्नांकित अभिलेखों/प्रमाण पत्रों सहित सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(i) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र, से जारी उद्यमी ज्ञापन (भाग–1 व 2) की अभिस्वीकृति अथवा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी उद्योग आधार की प्रति।

(ii) गुणवत्ता प्रमाणीकरण के तहत गुणवत्ता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र या समतुल्य प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।

(iii) प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने वाली संस्था के मान्यता (accreditation) सम्बन्धी प्रमाण पत्र की प्रति।

(iv) प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु किये गये व्यय के बिल वाउचरों की प्रमाणित प्रतियां।

(v) निर्धारित प्रारूप में चार्टर्ड एकाउन्टेंट का व्यय से सम्बन्धित प्रमाण पत्र।

(vi) भारत सरकार की गुणवत्ता प्रमाणीकरण से सम्बन्धित योजनाओं का लाभ न लेने सम्बन्धी शपथ पत्र।

2. जिला उद्योग केन्द्र में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर महाप्रबन्धक द्वारा 45 दिन के भीतर आवेदन पत्र तथा अभिलेखों का परीक्षण कर दावा स्वीकृति हेतु जिला प्राधिकृत समिति के सम्मुख स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

3. जिला प्राधिकृत समिति से स्वीकृति प्राप्त होने पर दावे की स्वीकृति के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा 5 दिन के भीतर स्वीकृति आदेश निर्गत किये जायेंगे।

4. जिला प्राधिकृत समिति से स्वीकृत दावे की धनराशि की मांग बैठक के कार्यवृत्त सहित निदेशक उद्योग को प्रस्तुत की जायेगी, निदेशक उद्योग बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत धनराशि के संवितरण के लिये बजट उपलब्धता के आधार पर धनराशि अवमुक्त करेंगे और यह धनराशि इकाई के खाते में आर0टी0जी0एस0/डी0बी0टी0 के माध्यम से संवितरित की जायेगी।

9. सहायता की वसूली — यदि यह पाया जाता है कि उद्यम द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये हैं या तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है और इस प्रकार गलत तरीके से उपादान सहायता प्राप्त की गयी है, तो उपादान की पूर्ण राशि एक मुश्त 18 प्रतिशत ब्याज सहित भू–राजस्व की वसूली के सदृश्य की जा सकेगी।

10. नियमों की व्याख्या

1. अनुदान की पात्रता, नियमों की व्याख्या या अन्य विवाद की स्थिति में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग का निर्णय अन्तिम एवं बन्धनकारी होगा।

2. योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश/स्पष्टीकरण जारी करने हेतु आयुक्त एवं महानिदेशक उद्योग /निदेशक उद्योग सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव।

सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयों को इन्टरनेट व्यय की प्रतिपूर्ति सहायता योजना

1. संक्षिप्त नाम — यह योजना 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम सूचना प्रौद्योगिकी उद्यमों को इन्टरनेट व्यय की प्रतिपूर्ति सहायता योजना कहलायेगी।

2. उद्देश्य — इस योजना का उद्देश्य चिन्हित जनपदों/क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा उद्यमों को प्रोत्साहित करना तथा लागत वृद्धि की क्षतिपूर्ति कर सेवा प्रदाता वस्तुओं के मूल्य को प्रतिस्पर्धात्मक बनाना है।

3. योजना का प्रारम्भ तथा पात्रता अवधि — यह योजना दिनांक 22 मार्च, 2016 जैसा कि कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2016 में विहित किया गया है, से लागू होकर दिनांक 31 मार्च, 2023 तक लागू रहेगी। इस योजनान्तर्गत प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहन का लाभ व्यवसायिक/वाणिज्यिक गतिविधि प्रारम्भ करने के दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक अनुमन्य होगा।

4. विनिर्माणक तथा सेवा क्षेत्र के उद्यम की परिभाषा

1. **नये विनिर्माणक तथा सेवा प्रदाता सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम** से आशय ऐसे उद्यम से है, जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति क्रियान्यवन आदेश–2019 में विनिर्माणक अथवा सेवा उद्यम के रूप में परिभाषित किया गया है।
2. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सक्षम सेवाओं से आशय सूचना प्रौद्योगिकी आधारित व्यवसायिक प्रक्रियायें और सेवायें हैं, जिनमें से उत्पाद/सेवायें संचार नेटवर्क की सहायता से प्रदान की जाती हैं। उदाहरणार्थ अर्बन/रूरल कॉल सेन्टर/बीपीओ/केपीओ/डाटा प्रोसेसिंग सेन्टर आदि।

5. पात्रता

1. ऐसे उद्यम द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र में उद्यमी ज्ञापन (भाग–1 व भाग–2) फाइल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की गई हो या एकल खिड़की व्यवस्थान्तर्गत CAF दाखिल कर उद्यम स्थापना हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृत प्राप्त की हो तथा उद्योग के परिचालन के पश्चात **'उद्योग आधार'** प्राप्त किया गया हो।
2. ऐसे उद्यम द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 (यथासंशोधित–2016, 2018 व 2019) में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों एवं अनुदान

सहायता के लिए एम0एस0एम0ई0 नीति के अन्तर्गत पूर्व पंजीकरण कराया हो या CAF के निर्दिष्ट कॉलम में नीति के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहन के लिए पूर्व पंजीकरण हेतु आवेदन किया गया हो।

3. इस योजना की सुविधा प्राप्त करने हेतु उद्यम की स्थापना के लिए ई0एम0 पार्ट–1 अथवा एम0एस0एम0ई0 नीति के अन्तर्गत पूर्व पंजीकरण या एकल खिड़की व्यवस्थान्तर्गत CAF में एम0एस0एम0ई0 नीति के अन्तर्गत निर्दिष्ट कॉलम पर पूर्व–पंजीकरण हेतु आवेदन कर उद्यम स्थापना के लिए सैद्धान्तिक स्वीकृत प्राप्त की गयी हो।

6. उपादान की मात्रा एवं सीमा

1. आई0टी0 सक्षम सेवाओं के लिए उपभोग किये गये इन्टरनेट पर किये गये कुल व्यय का 50 प्रतिशत।
2. इन्टरनेट प्रतिपूर्ति सहायता इन्टरनेट संयोजन के दस्तावेज/अभिलेख तथा इन्टरनेट पर किये गये व्यय के बिल तथा भुगतान की प्रमाणित प्रतियां दावे के साथ प्रस्तुत करने पर सत्यापन अधिकारी द्वारा किये गये प्रमाणन के आधार पर प्रदान की जायेगी।
3. वास्तविक व्यय की पुष्टि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा दिये गये प्रमाण–पत्र तथा इन्टरनेट से सम्बन्धित बिल वाउचर/भुगतान के आधार पर की जायेगी।

7. अभिलेखों का रख–रखाव

इस सुविधा का उपयोग करने वाले उद्यमों को कच्चेमाल तथा तैयार माल का विस्तृत विवरण अभिलेखों में अंकित करना होगा तथा जब कभी उद्योग विभाग के किसी अधिकृत प्रतिनिधि/प्राधिकारी द्वारा उनकी मॉग की जाय, तो तत्काल उपलब्ध कराने होंगे। यदि इन अभिलेखों के अतिरिक्त अन्य किसी अभिलेख सन्दर्भगत योजना से सम्बन्धित हों, तो उसे भी उद्यम निरीक्षण/सत्यापन हेतु उपलब्ध करायेगी, अन्यथा उसे इस सुविधा का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

8. इन्टरनेट प्रतिपूर्ति सहायता के लिए दावों का प्रस्तुतिकरण

1. उद्यम द्वारा उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात त्रैमासिक आधार पर दावा प्रस्तुत किया जायेगा। प्रथम त्रैमास का दावा त्रैमास समाप्ती के उपरान्त एक माह के अन्दर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। तत्पश्चात नियमित रूप से प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति के उपरान्त एक माह में आगामी दावा प्रस्तुत किया

जायेगा।

2. प्रत्येक दावे के साथ उद्यम द्वारा इन्टरनेट व्यय के बिल, भुगतान की रसीदों की प्रमाणित प्रतियां साक्ष्य में उपलब्ध करानी होंगी।

9. दावे की स्वीकृति की प्रक्रिया

1. विशेष राज्य परिवहन उपादान के दावे, रू. 10.00 लाख की सीमा तक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला उद्योग मित्र की समिति द्वारा स्वीकृत किया जायेगा तथा रू. 10.00 लाख से अधिक के दावे राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

10. उपादान संवितरण की प्रक्रिया

1. उपादान के संवितरण के लिये निदेशक उद्योग अथवा महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र संवितरण एजेन्सी के रूप में कार्य करेंगे।
2. जिला उद्योग मित्र की प्राधिकृत समिति से दावा (रू. 10 लाख की सीमा तक) स्वीकृत होने के उपरान्त सम्बन्धित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र निर्धारित प्रारूप पर उपादान स्वीकृति की संसूचना सम्बन्धित उद्यम को जारी करेंगे।
3. प्राधिकृत समिति से दावा स्वीकृत होने पर धनराशि के संवितरण के लिये प्राधिकृत समिति की बैठक के कार्यवृत्त सहित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा धनराशि की मॉग निदेशक उद्योग को प्रस्तुत की जायेगी।
4. रू 10 लाख से अधिक के प्रकरण प्रयोजन हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे, जिसमें निदेशालय की संस्तुति तथा संगत अभिलेख समिति के विचार हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे। समिति की संस्तुति/स्वीकृति के उपरान्त धनराशि के संवितरण की कार्यवाही निदेशालय द्वारा की जायेगी।
5. निदेशक उद्योग बजट उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत धनराशि/ प्राप्त मॉग के सापेक्ष धनराशि संवितरण हेतु अवमुक्त करेंगे।
6. उपादान संवितरण से पूर्व राज्य सरकार की ओर से महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा स्थापित नये उद्यम के बीच एक अनुबन्ध/करार किया जायेगा, जिसमें उपादान सहायता की राशि तक की परिसम्पत्तियों, यथा: कार्यशाला भवन, प्लाण्ट व मशीनरी इत्यादि के गिरवी/बन्धक रखना

शामिल हो। राज्य सरकार तथा उद्यम के बीच अनुबन्ध/करार हेतु आलेख का निर्धारण कर उसका अनुमोदन निदेशक उद्योग, उत्तराखण्ड के स्तर से किया जायेगा।

11. संवितरण एजेन्सी के अधिकार तथा उपादान प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाई का दायित्व

1. यदि राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट है कि किसी उद्यम ने उपादान हेतु किसी आवश्यक तथ्य के बारे में मिथ्या कथन, मिथ्या जानकारी प्रस्तुत की है अथवा वह उद्यम प्रारम्भ होने से 05 वर्ष के अन्दर उत्पादन बन्द कर देता है, तो राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह उद्यम को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपादान सहायता 18 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करने हेतु आदेश जारी कर सकता है।

2. महानिदेशक/आयुक्त उद्योग अथवा निदेशक उद्योग के पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना उद्यम के किसी भी स्वामी को उपादान सहायता प्राप्त करने के पश्चात् उस सम्पूर्ण उद्यम या उसके किसी भाग के स्थापना स्थल को बदलने के लिये या उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् 05 वर्ष की अवधि के अन्दर अपने कुल निर्धारित पूंजी निवेश में प्राप्त संक्षेपन अथवा इसके पर्याप्त भाग का निपटान करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

3. जिन उद्यमों ने रू. 1.00 लाख (रू. एक लाख मात्र) से अधिक का उपादान प्राप्त किया है, उन्हें उपादान प्राप्त होने के वर्ष से 5 वर्ष तक अंकेक्षित लेखे व उत्पादन/विक्रय विवरण प्रस्तुत करने होंगे। रू. 1.00 लाख (रू. एक लाख मात्र) से कम उपादान प्राप्त करने वाले उद्यम को उत्पादन व विक्रय की जानकारी देनी होगी।

4. उद्यम को व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् न्यूनतम 05 वर्ष तक अपना उद्यम चालू रखना होगा। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में उद्यम का 6 माह की अवधि तक बन्द रखा जाना, उद्यम/औद्योगिक इकाई को बन्द की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। नियंत्रण से परे कारणों पर, निदेशक उद्योग का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

12. अन्य

1. इस योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में यदि कोई स्पष्टीकरण वांछित होगा, तो ऐसे मामले में महानिदेशक/आयुक्त उद्योग अथवा निदेशक उद्योग को संदर्भित किये जायेंगे और यह अधिकारी स्पष्टीकरण जारी करने के लिए अधिकृत होंगे।

2. इन्टरनेट व्यय की प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित प्राप्त आवेदन पत्रों एवं अभिलेखों का रख–रखाव तथा समय–समय पर आडिट इत्यादि का दायित्व महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र का होगा।

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव।

मूल्यवर्द्धित कर (VAT) प्रतिपूर्ति सहायता योजना

1. संक्षिप्त नाम — यह योजना 'मूल्यवर्द्धित कर (VAT) प्रतिपूर्ति सहायता योजना कहलायेगी।

2. उद्देश्य — इस योजना का उद्देश्य राज्य के सीमान्त व दूरस्थ क्षेत्रों/जनपदों, यथाः श्रेणी–ए, बी व बी+ में वर्गीकृत क्षेत्रों में स्थापित होने वाले विनिर्माणक उद्यमों को बाजार की प्रतिस्पर्धा को बनाये रखते हुए इकाई के उत्पादन मूल्य में होने वाली लागत वृद्धि को कम करना है, जिससे श्रेणी–ए, बी व बी+ में स्थापित हाने वाली इकाईयों को उत्पाद की बिक्री में प्रभारित मूल्यवर्द्धित कर की प्रतिपूर्ति सहायता मिल सके।

3. योजना का प्रारम्भ तथा पात्रता अवधि — यह योजना दिनांक 31 जनवरी, 2015 जैसा कि कार्यालय ज्ञाप संख्या 184 दिनांक 31 जनवरी, 2015 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या 527 दिनांक 08 मार्च, 2019 में विहित किया गया है, से लागू होकर दिनांक 31 मार्च, 2023 तक प्रवृर्त्त रहेगी।

4. विनिर्माणक तथा सेवा क्षेत्र के उद्यम की परिभाषा —

1. नये अभिज्ञात विनिर्माणक/उत्पादक (Manufacturing) से तात्पर्य ऐसे उद्यम से है, जिन्हें सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 2287/सात–II/15/146–एमएसएमई/2015 दिनांक 3 दिसम्बर, 2015 में परिभाषा शीर्ष के अन्तर्गत उप प्रस्तर–II में परिभाषित किया गया है।

2. सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम से आशय ऐसे उद्यम से है, जिसे सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम, विकास अधिनियम–2006 के अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के रूप में परिभाषित किया गया हो तथा जिसकी स्थापना के लिए सम्बन्धित जनपद के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को उद्यमी ज्ञापन भाग–1 व 2 फाइल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की गयी हो अथवा एकल खिड़की व्यवस्था अन्तर्गत CAF फाइल कर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त की गयी हो और उद्योग आधार की अभिस्वीकृति प्राप्त की हो।

3. बृहत उत्पादक उद्यम से तात्पर्य ऐसे उद्यम से है, जिनका अचल पूंजी निवेश सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 के अध्याय–3, धारा–7 में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों हेतु निर्धारित पूंजीगत निवेश से अधिक हो तथा जिसके लिए भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में एस.आई.ए./आई.ई.एम./आशय पत्र (जैसी भी स्थिति हो) फाइल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की गयी हो।

5. पात्रता

1. ऐसे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र में उद्यमी ज्ञापन (भाग–1 व भाग–2) फाइल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की गई हो या एकल खिड़की व्यवस्थान्तर्गत CAF दाखिल कर उद्यम स्थापना हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृत प्राप्त की हो तथा उद्योग के परिचालन के पश्चात **'उद्योग आधार'** प्राप्त किया गया हो।

2. ऐसे उद्यम द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 (यथासंशोधित–2016, 2018 व 2019) में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों एवं अनुदान सहायता के लिए एम0एस0एम0ई0 नीति के अन्तर्गत पूर्व पंजीकरण कराया हो या CAF के निर्दिष्ट कॉलम में नीति के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहन के लिए पूर्व पंजीकरण हेतु आवेदन किया गया हो।

2. इस योजना की सुविधा प्राप्त करने हेतु उद्यम की स्थापना के लिए ई0एम0 पार्ट–1 अथवा एम0एस0एम0ई0 नीति के अन्तर्गत पूर्व पंजीकरण या एकल खिड़की व्यवस्थान्तर्गत CAF में एम0एस0एम0ई0 नीति के अन्तर्गत निर्दिष्ट कॉलम पर पूर्व–पंजीकरण हेतु आवेदन कर उद्यम स्थापना के लिए सैद्धान्तिक स्वीकृत प्राप्त की गयी हो।

6. उपादान की मात्रा एवं सीमा

पात्र औद्योगिक एककों/उद्यमों को स्वनिर्मित उत्पाद की बिक्री पर भुगतान किये गये मूल्यवर्द्धित कर में प्रतिपूर्ति हेतु निम्नानुसार दावे की अर्हता के निर्धारण होने पर स्वीकृत सहायता की सीधे प्रतिपूर्ति की जायेगी। मूल्यवर्द्धित कर की प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा एवं मात्रा श्रेणी–ए के जनपदों के लिए प्रथम 5 वर्ष के लिए शत् प्रतिशत तथा तत्पश्चात 90 प्रतिशत। श्रेणी–बी तथा बी+ के जनपदों में स्थापित उद्यमों

को मूल्यवर्द्धित कर में छूट/प्रतिपूर्ति सहायता प्रथम 5 वर्ष के लिए शत प्रतिशत तथा तत्पश्चात 75 प्रतिशत की दर से देय होगी।

स्पष्टीकरण: दिनांक 31 मार्च, 2020 से पूर्व उद्यम के उत्पादन प्रारम्भ करने पर पात्रता के आधार पर इकाई को उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक से दिनांक 31 मार्च, 2025 तक छूट का लाभ अनुमन्य होगा, किन्तु दिनांक 31 मार्च, 2020 के पश्चात उत्पादन में आने उद्यमों को उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक से केवल 5 वर्ष तक ही प्रतिपूर्ति सहायता का लाभ देय होगा।

7. मूल्यवर्द्धित कर प्रतिपूर्ति सहायता के लिए दावों का प्रस्तुतिकरण

पात्र उद्यमियों द्वारा त्रैमासिक, षटमासिक अथवा वार्षिक रूप से कर निर्धारण एवं कर भुगतान करने के पश्चात अपने उद्यम में उत्पादित उत्पाद के विक्रय पर भुगतान किये गये मूल्यवर्द्धित कर के प्रमाणित /सत्यापित प्रपत्रों सहित निर्धारित आवेदन पत्र सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित सहपत्र/अभिलेख भी प्रस्तुत करने होंगे:-

(क) सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम-2006 के अन्तर्गत सूक्ष्म तथा लघु उद्यम की स्थापना के पश्चात सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र में फाइल किये गये उद्यमिता ज्ञापन भाग-2 की प्रति अथवा उद्योग आधार की प्रति।

(ख) जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी व्यवसायिक उत्पादन प्रमाण पत्र।

(ग) वैध मूल्यवर्द्धित कर भुगतान की वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा दी गयी प्राप्ति रसीद/ई-पेमेंट की प्रमाणित प्रति।

(घ) वार्षिक कर प्रतिफल (Annual Tax Returns) की सत्यापित प्रति।

8. दावे की स्वीकृति /संवितरण की प्रक्रिया:

मूल्यवर्द्धित कर में प्रतिपूर्ति के लिए प्रतिपूर्ति सहायता के संवितरण हेतु राज्य का उद्योग निदेशालय नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करेगा तथा शासन से इस रूप में प्राप्त बजट

का आवंटन/संवितरण प्राप्त प्रतिपूर्ति दावों की अर्हता पर निर्णय लेने के लिए गठित राज्य/जिला स्तरीय समिति के अनुमोदनोपरान्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से सम्बन्धित इकाई को किया जायेगा।

9. प्रतिपूर्ति दावों की वसूली:

(क) यदि उद्यम द्वारा तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया हो अथवा किसी तथ्य को छिपाया गया हो।

(ख) उद्यमी द्वारा व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् न्यूनतम 5 वर्ष तक अपना उद्यम चालू रखना होगा। विशेष अथवा आपदा सम्बन्धी कारणों पर निर्णय के लिए निदेशक उद्योग का निर्णय अन्तिम होगा।

(ग) प्रतिपूर्ति दावों के सम्बन्ध में कोई जानकारी अथवा सूचना उपलब्ध न कराये या उक्त नियमावली अथवा एमएसएमई नीति–2015 (यथासंशोधित–2016, 2018 व 2019) के निर्धारित मानकों के पालन न करने पर प्रतिपूर्ति सहायता राशि एकमुश्त भू–राजस्व वसूली के सदृश्य की जा सकेगी।

12. अन्य

1. इस योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में यदि कोई स्पष्टीकरण वांछित होगा, तो ऐसे मामले में महानिदेशक/आयुक्त उद्योग अथवा निदेशक उद्योग को संदर्भित किये जायेंगे और यह अधिकारी स्पष्टीकरण जारी करने के लिए अधिकृत होंगे।

2. मूल्यवर्द्धित कर की प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित प्राप्त आवेदन पत्रों एवं अभिलेखों का रख–रखाव तथा समय–समय पर आडिट इत्यादि का दायित्व महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र का होगा।

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव।